शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 10 अंक : 4   1 नवम्बर, 2017

(कार्तिक-मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् 2074)

संस्थापक संरक्षक
स्व. मुकुन्द राव कुलकर्णी के.नरहरि

❖

परामर्श
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक
सन्तोष पाण्डेय

❖

सह सम्पादक
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी ❑ भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
डॉ. नाथू लाल सुमन
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी
बसन्त जिन्दल ❑ नौरंग सहाय भारतीय
कार्यालय प्रभारी
आलोक चतुर्वेदी : 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राज.) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/- वार्षिक शुल्क 200/-
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

तनाव रहित शिक्षा प्रक्रिया ❑ डॉ. सुमन बाला

अधिगम को आनंददायी बनाना है तो विद्यालय वातावरण को तनाव मुक्त और भयमुक्त बनाकर बालकेन्द्रित अधिगम करवाना होगा। बालकेन्द्रित वातावरण द्वारा ही बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है और एक प्रसन्न व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता। इसके लिए विद्यालय में अध्यापक बालक के आत्म को स्वीकार कर उसकी गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतान्त्रिक मूल्यों में भागीदारी को विकसित कर सकते हैं। इस कड़ी में बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। बालक की स्वीकार्यता होगी तो बालकों की आपसी तुलना नहीं होगी और विद्यालय का वातावरण भी प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण होने से बचाया जा सकेगा।

6

अनुक्रम

4.	देश व समाज का भविष्य हैं बच्चे	– सन्तोष पाण्डेय
9.	'साइबर धमकी' : बालमन पर खतरा	– प्रो. मधुर मोहन रंगा
12.	डिजिटल दुनिया में खोता बचपन	– डॉ. रेखा भट्ट
17.	बच्चों में कुपोषण व उनकी खाद्य सुरक्षा	– डॉ. प्रकाश चन्द्र अग्रवाल
20.	मुश्किल में है बच्चा	– डॉ. संजीव कुमार
22.	Creation of Agitated Minds	– Dr. TS Girishkumar
25.	Confused Children	– Prof. A. K. Gupta
28.	प्रारंभिक शिक्षा : एक दृष्टि	– डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल
30.	महिला समानता का संघर्ष	– डॉ. ऋतु सारस्वत
33.	शिक्षा को समर्पित वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल	– विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी
35.	पुस्तक समीक्षा	
36.	गतिविधि	

बाल केन्द्रित शिक्षा से चहकता बचपन

❑ बजरंग प्रसाद मजेजी

जब तक बालक स्कूल के वातावरण के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनकी शिक्षा प्रभावपूर्ण नहीं हो सकेगी और वह शिक्षा बालकेन्द्रित शिक्षा नहीं कहलायेगी। शिक्षालय में बालक शिक्षक के सम्बन्ध मधुर व आत्मीय होने चाहिये। बालक कैसी भी शारीरिक एवं मानसिक परिस्थिति का हो, उसके साथ जितना सहज बनकर, उसके भीतर उतरने की कोशिश की जायेगी तो वह अधिक से अधिक हृदयङ्गम करने में रुचि रखेगा। शिक्षण में बालकों की भागीदारी हो, कठिनाइयों, समस्याओं से जूझना सीखे, वही शिक्षा बालोपयोगी शिक्षा होगी। अति उत्साह और अपेक्षा के लिए दी गई शिक्षा भविष्य में बालक के लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है।

15

देश व समाज का भविष्य हैं बच्चे

❑ सन्तोष पाण्डेय

संपादकीय

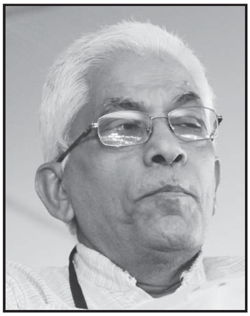

बालक-बालिकाओं के सुरक्षित व संरक्षित वर्तमान में एक बड़ा अवरोध बालकों के प्रति बढ़ते अपराध हैं। दुर्भाग्यवश इनमें सामान्य नागरिकों के साथ असामाजिक व अपराधी तत्त्व भी योग देते हैं। देश में बढ़ता 'चाइल्ड ट्रैफिकिंग' चिन्ता का विषय है। बालश्रम का चलन इसका प्रमुख कारण है। अनेक अपराधों, भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति जैसे धन्धों में लाखों बच्चे-बच्चियों को धकेल दिया जाता है। इनके प्रति समाज व सरकार को कठोर व्यवहार करना होगा। स्कूलों के आस-पास का वातावरण शुद्ध व समाज के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि देश व राज्यों की सरकारें इनके प्रति सजग नहीं है। कठोर कानूनी उपाय किये गये हैं, परन्तु उनकी कठोरता से पालना के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

किसी भी देश व समाज के भावी स्वरूप को यदि देखना हो, तो वहाँ के बालक-बालिकाओं की स्थिति को देखना चाहिये। देश व समाज अपनी संस्कृति, विरासत, परम्परा, नैतिक व चारित्रिक बल तथा ज्ञान की धरोहर बालक-बालिकाओं के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित करता है। शिक्षा व मातृभाषा इनके वाहक का कार्य करती है। वर्तमान पीढ़ी बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा-संरक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देती है, तो स्वस्थ, शिक्षित व उच्च नैतिक तथा चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। बच्चों पर परिवार व समाज द्वारा किया गया व्यय देश व समाज के भविष्य निर्माण में किया गया विनियोग है। इस तथ्य को दृष्टिगत रख कर ही 20 नवम्बर, 1959 को बाल अधिकारों को स्वीकार किया गया। विश्व के सभी देशों में बाल अधिकारों की पालना का मूल्यांकन व समाज का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से बाल दिवस मनाया जाता है। भारत में भी 14 नवम्बर को बाल दिवस मनाया जाता जाता है। देश में 70 वर्ष की आजादी के बाद देश में बच्चों की स्थिति पर गंभीर चिन्तन, मनन व विचार आवश्यक है।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुये हैं। अनेक रचनात्मक परिवर्तनों से जहाँ शिक्षा-दीक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है, जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की आशा बलवती होती है, वहीं अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर हो रही है जो बच्चों के स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ऐसी प्रवृत्तियों व परिवर्तनों का समुचित निवारण किये बिना बालकों का सुरक्षित व संरक्षित भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इनके निवारण व नियंत्रण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की महत्ती भूमिका तो है परन्तु उनसे भी बड़ा दायित्व समाज व परिवार पर भी निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अनेक मानक व लक्ष्य निर्धारित किये हैं, इनमें तथा अनेक मूल्यांकनों में भारत की स्थिति कोई सुखद स्थिति नहीं है। भारत आज भी विकसित व अल्पविकसित के बीच में नीचे के स्थान पर ही आता है। यह देश के लिये श्रेयष्कर स्थिति नहीं है। आज भी देश में भारी विकास के बावजूद घोर गरीबी की स्थिति है। निर्धन व अतिनिर्धन वर्ग के बालक-बालिकायें भले ही व्यापक भुखमरी का शिकार नहीं हो परन्तु गंभीर रूप से कुपोषण ग्रस्त अवश्य हैं। अपर्याप्त व अव्यवस्थित चिकित्सा सुविधाओं के कारण बच्चे गंभीर रोगों व शारीरिक दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भावी मानवीय संसाधनों की अत्यन्त निम्न उत्पादन कुशलता के रूप में प्रकट होता है। मध्याह्न भोजन योजना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योग दे सकती है। इसके लिये आवश्यक वित्तीय व भौतिक संसाधन जुटाना अपेक्षित है। इस योजना का विस्तार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये किया जाना आवश्यक है, साथ ही कुपोषण व शारीरिक

दुर्बलता की समस्या निवारण हेतु मध्याह्न भोजन योजना के समान ही अथवा इस योजना का विस्तार व्यापक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के रूप में किया जाना चाहिये। वर्तमान में यह व्यवस्था स्कूलों के माध्यम से संचालित है। स्कूलों में कार्य दिवस होने पर ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध है। अब इसे अवकाश दिनों में दिया जाना विचाराधीन है। परन्तु स्कूलों से बाहर रह रहे सभी बच्चों तक इसकी पहुँच बढ़ाना अपेक्षित है। शिशुओं के स्वस्थ शारीरिक विकास व नीरोगी काया के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय टीकाकरण योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। स्मरण रहे कि स्वस्थ व सक्षम पीढ़ी ही गरीबी उन्मूलन का एकमात्र उपाय है।

भावी पीढ़ी के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था का भारी योगदान होता है। देश के प्रत्येक बालक-बालिका को शिक्षा-व्यवस्था में शामिल करना मूलभूत आवश्यकता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद अभी भी भारी संख्या में बालक-बालिकायें शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं। अत्यधिक निर्धनता व साधनहीनता के कारण बच्चों का उपयोग खेती व गृह उद्योग में भले ही करें व बालश्रम के रूप में परिवार के पालन पोषण में योग भले ही दें, परन्तु देश व समाज की दृष्टि से यह गंभीर अपराध माना जाना चाहिये तथा इनके उन्मूलन के गंभीर व अपवाद रहित प्रयास होने चाहिये। स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम के साथ-साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के प्रयास सम्मिलित होने चाहिये। स्वस्थ तन व स्वस्थ मन के विकास के लिये आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा व खेल-कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाये। योग व स्थानीय खेल यथा कबड्डी, खो-खो जैसे अल्प व्यय वाले खेलों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना आवश्यक है। देश में रोजगार की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखकर कौशल विकास व प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाना अपेक्षित है।

देश में तीव्र आर्थिक विकास के अनेक सामाजिक प्रभाव हुये हैं। धनी वर्ग के साथ-साथ उच्च मध्यम व मध्यम वर्ग के बालक-बालिकायें सामाजिक दृष्टि से अनेक अवांछित गतिविधियों के शिकार होने को विवश हैं। देश में यह धारणा पुष्ट हो रही है कि सरकारी शिक्षण संस्थायें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ है, एतदर्थ निजी शिक्षण संस्थाओं को अच्छी शिक्षा का पर्याय बनाया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। शहरी व शहरीकरण की सुविधाओं से युक्त ग्रामीण क्षेत्रों में एक से एक भव्य भवन व भौतिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों का निर्माण हो रहा है, परन्तु क्या वास्तव में ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में समर्थ हैं, संदेहास्पद है। कठोर अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं को मशीन बना दिया जाता है। स्वास्थ्य व स्वतंत्रता, शिक्षण व चिन्तन गौण हो जाता है। सामाजिक असमानता का भाव यहीं से जड़ पकड़ता है। बच्चे 'स्टेटस कोंसियस' हो जाते हैं। ऐसी ही व्यवस्था में 'रेयान स्कूल' जैसी घटनायें घटती हैं। यदा-कदा स्कूली बच्चों द्वारा आग्नेय अस्त्रों के प्रदर्शन व प्रयोग की घटनायें घटती है। जेण्डर आधारित अपराध भी बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। स्वाभाविक है कि अल्प वेतन भोगी शिक्षक व अन्य कर्मचारी वर्ग बच्चों की समस्याओं को समझने, उनसे सहानुभूति व स्नेहपूर्ण व्यवहार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इन सभी से बालक-बालिकाओं का स्वाभाविक व भावनात्मक विकास अवरुद्ध होता है।

आर्थिक विकास का एक दुष्परिणाम जो पश्चिमीकरण के अनुकरण के कारण पुष्ट हुआ है, एकल परिवारों का बढ़ता चलन है। नगरों व महानगरों में पति-पत्नी का रोजगार में लगना पारिवारिक समृद्धि के लिये अपरिहार्य हो गया है। रोजगार की अनिवार्यताओं के कारण बालक-बालिकाओं का बालपन या तो एकाकी बन रहा है, या आयाओं, क्रेचों के सहारे चल रहा है। उपयुक्त देख-रेख, स्नेहपूर्ण व्यवहार के अभाव में भावनात्मक व स्वाभाविक विकास अनेक समस्यायें पैदा कर रहा है। इनमें इलेक्ट्रानिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने में माँ-बाप असमर्थ हैं। शैशवावस्था से ही कार्टूनों से लेकर विभिन्न प्रकार के गेम्स भी बच्चों में अलगाव व अकेलेपन में व्यस्त रहने की समस्या बन गये हैं। अपरिपक्व बालमन पर सोशल मीडिया से उत्पन्न व्याधियाँ पैर फैला रही हैं। यह स्वस्थ मन के विकास में बड़ा अवरोध है। इनसे बच्चों के व्यवहार में अस्वाभाविकता बढ़ती है। इन पर कैसे नियंत्रण पाया जाय यह सामाजिक शोध का विषय है। डिजिटलीकरण जहाँ अपार लाभ व संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, वहीं इनके प्रयोग समुचित सावधानी नहीं रखे जाने के बालक-बालिकाओं पर गंभीर परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जो उनके जीवन की दिशा को गलत रास्ते की ओर मोड़ सकता है।

बालक-बालिकाओं के सुरक्षित व संरक्षित वर्तमान में एक बड़ा अवरोध बालकों के प्रति बढ़ते अपराध हैं। दुर्भाग्यवश इनमें सामान्य नागरिकों के साथ असामाजिक व अपराधी तत्त्व भी योग देते हैं। देश में बढ़ता 'चाइल्ड ट्रैफिकिंग' चिन्ता का विषय है। बालश्रम का चलन इसका प्रमुख कारण है। अनेक अपराधों, भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति जैसे धन्धों में लाखों बच्चे-बच्चियों को धकेल दिया जाता है। इनके प्रति समाज व सरकार को कठोर व्यवहार करना होगा। स्कूलों के आस-पास का वातावरण शुद्ध व समाज के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि देश व राज्यों की सरकारें इनके प्रति सजग नहीं है। कठोर कानूनी उपाय किये गये हैं, परन्तु उनकी कठोरता से पालना के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। ❑

अधिगम को आनंददायी बनाना है तो विद्यालय वातावरण को तनाव मुक्त और भयमुक्त बनाकर बालकेन्द्रित अधिगम करवाना होगा। बालकेन्द्रित वातावरण द्वारा ही बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है और एक प्रसन्न व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता। इसके लिए विद्यालय में अध्यापक बालक के आत्म को स्वीकार कर उसकी गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतान्त्रिक मूल्यों में भागीदारी को विकसित कर सकते हैं। इस कड़ी में बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। बालक की स्वीकार्यता होगी तो बालकों की आपसी तुलना नहीं होगी और विद्यालय का वातावरण भी प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण होने से बचाया जा सकेगा।

तनाव रहित शिक्षा प्रक्रिया

❑ **डॉ. सुमन बाला**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यालयों एवं अध्यापकों का एकमात्र लक्ष्य सभी बालकों को विद्यालय तक लाना हो गया तथा विद्यालय लाने और लाकर उनका नामांकन करने की मुहिम तीव्र हो गई। कोई भी बालक जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष है उसका नामांकन किसी न किसी विद्यालय में अनिवार्यतः होना ही चाहिए, इसी को सरकार और शिक्षा तन्त्र ने बालक के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना मान लिया। क्या विद्यालय में किसी भी बालक का नामांकन कर देना या प्रवेश लेना भर ही उसकी शिक्षा का मापदण्ड रह गया है? क्या उसको विद्यालय तक ले आना ही शिक्षा है? मुझे महसूस होता है कि इन सब प्रयासों से हमने बालक को शिक्षा का अधिकार न देकर केवल स्कूलिंग का अधिकार दिया है और स्कूलिंग शिक्षा से अलग है। शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। यदि हम वर्तमान में प्रचलित विद्यालय शिक्षण व्यवस्था को अवलोकन करें तो शिक्षण हेतु एक विद्यालय है जिसके किसी कक्षा कक्ष में बालक पुस्तक में लिखी गयी विषयवस्तु को केवल इसलिए रटता अथवा याद करता है ताकि वह कुछ दिये गये प्रश्नों के उत्तर दे सके, दिया गया गृहकार्य लिख सके। इन सब कार्यों का अन्तिम उद्देश्य उस कक्षा की परीक्षा में सफल होना और अच्छे अंकों के साथ अगली कक्षा में पहुँचना है। शिक्षित बालक अथवा व्यक्ति क्या वह है जो केवल लिख- पढ़ सके। लिखने पढने में सक्षम व्यक्ति साक्षर तो है पर शिक्षित नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य इतना संकुचित नहीं हो सकता जो केवल एक व्यक्ति में और एक व्यक्ति के लिए ही सिमटकर रह जायें। शिक्षा व्यक्ति के साथ-साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व हित के उद्देश्य के लिए होगी तभी अच्छे समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण संभव हो सकेगा। शिक्षा के द्वारा बालक में विश्लेषण क्षमता का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक वह सही निर्णय लेने में मददगार साबित नहीं हो सकती। शिक्षा जब तक दूसरे व्यक्तियों और उनकी पीड़ा को समझने की विवेक बुद्धि विकसित नहीं करती और दूसरों की पीड़ा को दूर करने की भावना विकसित नहीं करती तब तक शिक्षा की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा बेहतर तरीके से जीना सिखाने के लिए उसे स्वयं की आंतरिक क्षमताओं (मन, शरीर, एवं आत्मा) का अधिकतम विकास करते हुए उसे संस्कारवान बनाने तथा उसके सामाजीकरण का कार्य करती है। यह तभी संभव है जब विद्यालय और परिवार समेकित और सम्मिलित रूप से उसे जीवन जीने का सलीका सिखाने के प्रयास से लेकर उसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करें। आज का बालक तनाव और भय के वातावरण में बड़ा हो रहा है। प्रथम तो हम जिस प्रक्रिया से उसे शिक्षित करने का प्रयास कर रहे है वह अमनोवैज्ञानिक है जिसमें बालक रुचि नहीं ले पाता है। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण और शिक्षण पद्धति इतनी नीरस है जो बालक में स्वाभाविक रूप से सीखने की रुचि को विकसित नहीं कर पाती है। इसके साथ-

साथ प्रत्येक बालक के लिए समान पाठ्यचर्या का निर्धारण होना उसके लिए इसे पूर्ण करने की मजबूरी बन जाती है। यदि किसी भी कक्षा को देखा जाए तो उसमें बहुविविधता दिखाई देती है। प्रत्येक बालक की अपनी-अपनी सीखने की क्षमता है। बालक की अपनी आवश्यकता, रुचियाँ, सामर्थ्य और अभिवृत्तियाँ है। इसके साथ-साथ प्रत्येक बालक का अपना सीखने का तरीका है और अपनी-अपनी भाषा है। जब तक अध्यापक अपनी कक्षा में एक प्रयोगशाला की तरह नये-नये प्रयोग नहीं करेगा तब तक वह बालकों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक नहीं बना सकता। जब तक सीखने को आनंददायक नहीं बना लेते तब तक बालकों को भयमुक्त एवं तनावमुक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि सीखना अपने आप में आनंद की प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते है वह हमें खुशी देता है। परन्तु जब किसी विषयवस्तु को हम स्वयं चाहकर सीखने की बजाए रटकर मजबूरीवश करते हैं, तब तनाव की शुरूआत हो जाती है।

तनाव निरन्तर बना रहे तो बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इस तनावपूर्ण स्थिति का निरन्तर बने रहना बालक के आनन्दपूर्ण जीवन में तो व्यवधान उत्पन्न करता ही है, साथ ही उसे अवसाद की तरफ ले जाता है। आज से तीस-चालीस वर्ष पूर्व बालकों को कभी बोर होते देखा-सुना नहीं था जो वर्तमान में एक सामान्य समस्या बन गई है। बड़े बालकों के साथ-साथ आज चार-पाँच वर्ष के बालक-बालिका को अक्सर बोरियत के बारे में कहते हुए सुना जा सकता है। अध्ययन के आँकड़े बताते हैं कि पश्चिम देशों के साथ-साथ भारतवर्ष में भी बालकों के तनाव और अवसाद का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। यद्यपि बालक के मनोसामाजिक वातावरण को बनाने में बहुत से कारकों की भागीदारी रहती है, परन्तु परिवार और विद्यालय के वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यवहार और विकास पर पड़ता है। प्रारम्भ से ही परिवार में बालक दादा-दादी, नाना-नानी से जीवन जीने का सलीका सीख सकता है जो बिना किसी दवाब और तनाव के आसानी से जीवनचर्या का भाग बन सकता है। विद्यालय के कक्षा रूपी प्रयोगशाला में वह नई और सुन्दर दुनिया के बारे में सीख सकता है। सीखने में आनन्द के लिए विभिन्न प्रकार के खेल के बारे में सीख सकता है, सीखने में आनन्द लेने के लिए कहानियों, नाटक, कविताएँ, आदि का प्रयोग किया जा सकता है। बालक अपनी भाषा में, स्वयं की गति से पढ़ने का आनन्द ले सकता है। उसके लिए कक्षा का वातावरण प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की बजाए सहयोगात्मक बनाने का प्रयास अध्यापक और अभिभावक करें ताकि उसे सीखना आनन्ददायी लगे।

बालकों को अन्य भाषा (अंग्रेजी) द्वारा सिखाने का प्रयास करेगें तो सीखने में आनन्द नहीं ले पायेगा और यह भाषा उसे दुरूह और बोझिल लगेगी। भाषा तो एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक सीखता है और विकसित होता है। इन छोटी- छोटी बातों पर ध्यान देकर विद्यालय वातावरण को भय, चिंता एवं तनाव से मुक्त रखकर शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति को संभव बना सकते हैं। अधिगम को आनंददायी बनाना है तो विद्यालय वातावरण को तनाव मुक्त और भयमुक्त बनाकर बालकेन्द्रित अधिगम करवाना होगा। बालकेन्द्रित वातावरण द्वारा ही बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है और एक प्रसन्न व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता। इसके लिए विद्यालय में अध्यापक बालक के आत्म को स्वीकार कर उसकी गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतान्त्रिक मूल्यों में भागीदारी को विकसित कर सकते हैं। इस कड़ी में बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। बालक की स्वीकार्यता होगी तो बालकों की आपसी तुलना नहीं होगी और विद्यालय का वातावरण भी प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण होने से बचाया जा सकेगा। उपरोक्त सभी प्रयासों द्वारा शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के साथ-साथ बालक में मानवीय संवेदनाओं का विकास संभव है जिससे वर्तमान की अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान भी संभव हो सकेगा। इस बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में बालक स्वयं अपने अधिगम का उत्तरदायित्व ग्रहण करने

के लिए तैयार होंगे। बालकों को बलपूर्वक नियमों में बाँधने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि बालकों की सहभागिता से विद्यालय नियमों का निर्धारण किया जा सकता है। नियमों का निर्धारण लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के व्यवस्थागत बनायें जाए और बालक एवं अध्यापक दोनों के लिए नियम पालन एक कर्तव्य के रूप में हो। इस परिस्थिति में प्रथम विद्यालय में एक स्वशासन की प्रक्रिया विकसित हो सकेगी और बालक इन नियमों को मानने अथवा इन पर चलने के लिए तत्पर होंगे। बालकों में जबावदेही का भाव विकसित हो सकेगा जो लोकतन्त्र प्रणाली के लिए आवश्यक है। बालक के लिए उसकी एकाग्रता एवं संलग्नता अधिक आवश्यक है बजाए इसके की अपनी अपेक्षाओं का बोझ लादकर शिक्षा को तनाव और भययुक्त बना दिया जाए। हॉबी क्लास की बजाए उसकी स्वाभाविक रुचियों और क्षमताओं का विकास जरूरी है।

बालक के लिए शिक्षा के सही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अभिभावक, अध्यापक, शिक्षण प्रणाली सभी को मिलकर सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि हम इसे सही दिशा में नहीं ले जा पायें तो बालकों में यह भय और अधिक समाता चला जायेगा, तनाव बढ़ता जायेगा और उसे अवसाद स्थिति में जाने से हम रोक नहीं पायेंगे। इससे पूर्व की स्थितियाँ काबू से बाहर हो बालक के विकास को सही दिशा में ले जाना होगा। बच्चों का जीवन गीली मिट्टी के समान है, हम इसे जो चाहे आकार दे सकते हैं। इसके लिए हमें सोचना होगा कि कैसे अनुभव बालक को दें, संस्कारों के कैसे बीज उनमें आरोपित करें। जिस तरह के मूल्य, संस्कार हम बालक में विकसित करेंगे भविष्य में उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। जैसे व्यक्तित्व का निर्माण हम करेंगे, वैसा ही समाज, राष्ट्र और विश्व निर्माण कर सकेंगे। यदि बालक भयमुक्त और तनावमुक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र भी भयमुक्त और तनाव रहित बन सकेगा। ❑

(व्याख्याता मनोविज्ञान एवं शिक्षा,
हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षण
महाविद्यालय, हटूण्डी, अजमेर)

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की राज्य सरकार से वार्ता

बकाया एरियर एवं स्थायी करने के निर्देश जारी होंगे

मंत्रीमण्डल सचिवालय के आदेशानुसार गठित मंत्रीमण्डलीय उप समिति के आमन्त्रण पर राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिष्टमंडल की शासन सचिवालय के समिति कक्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा, वित्त एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ 10 अक्टूबर, 2017 को वार्ता सम्पन्न हुई।

वार्ता में 2012 में नियुक्त शिक्षकों के बकाया स्थिरीकरण, एरियर एवं बोनस का तत्काल भुगतान करने एवं 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित अधिकारियों को 2012 में नियुक्त शिक्षकों को 15 दिवस में बकाया स्थिरीकरण एरियर एवं बोनस दिये जाने तथा शेष स्थायीकरण के प्रकरण तत्काल निष्पादित करने एवं 2015 में नियुक्त शिक्षकों को 15 नवम्बर 2017 तक नियमित कर स्थायीकरण करने के निर्देश देकर पालना हेतु पाबन्द किया।

वार्ता में संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि वरिष्ठ अध्यापक/ समकक्ष को दिनांक 01.07.2013 से 14430 रु. वेतन पर फिक्स किया गया है जबकि यह केन्द्र के अनुरूप रिवाइज वेतन फॉर्मूले के अनुरूप अर्थात् 6500 x 1.86 = 12090 + 4200 = 16,290 रु. पर किये जाने का औचित्य रखते हुए तार्किक तरीके से बात रखी।

वार्ता में पक्ष रखते हुए कहा कि व्याख्याता/ समकक्ष को 01.07.2013 से 18,750 रु. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण को यथावत रख कर दिनांक 28.07.2017 के आदेश द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि (जी.आई.) रोकने के आदेश को प्रत्याहारित करने की बात रखी। इसी प्रकार सन् 2007 से 2009 की अवधि में नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक का परिवीक्षा काल के पश्चात् 11,170 रु. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण करने का विरोध करते हुए 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापकों एवं प्रबोधक का वेतन निर्धारण 12,900 रु. मूल वेतन किये जाने की पुरजोर माँग की।

संगठन ने केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अध्यापक/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड-पे 4200 रु., वरिष्ठ अध्यापक/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड-पे 4600 रु., प्रधानाचार्य/ समकक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रारम्भिक ग्रेड-पे 7600 रु., पुस्तकालयाध्यक्ष/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड-पे 4200 रु. वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड-पे 4600 रु., प्रयोगशाला सहायक के चयनित वेतनमान में आ रही विसंगतियों को तत्काल दूर करने तथा प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बने शिक्षकों को 27 वर्षीय एसीपी में शिक्षकों के समान ही 5400 रुपये ग्रेड-पे देने का पुरजोर आग्रह करते हुए इसके पक्ष में संगठन के औचित्य रखे।

वार्ता में पूर्व में तदर्थ नियुक्त कृषि विषय के व्याख्याताओं को नियमित कर वरिष्ठता के साथ समस्त परिलाभ दिये जाने तथा 2012 में बी.एस.टी.सी. उत्तीर्ण उदयपुर व बून्दी जिले के शेष शिक्षकों को स्थायी करने की माँग की है।

मंत्रीमण्डल उप समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने शिष्टमण्डल को आश्वस्त किया कि वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित सामन्त समिति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। संगठन द्वारा रखी गई इन विसंगतियों एवं उनके औचित्य को भी सामन्त समिति द्वारा विचार कर रिपोर्ट आने पर मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा।

वार्ता में संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रह्लाद शर्मा, संगठन मंत्री महावीर प्रसाद सिंघल एवं प्रदेश मंत्री रवि आचार्य शामिल हुए। शासन की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, दिगम्बर सिंह, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय बीसूका क्रियान्वयन समिति के साथ कार्मिक सचिव भास्कर ए. सावन्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सर्वशिक्षा अभियान के आयुक्त जोगाराम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

‘साइबर धमकी’ : बालमन पर खतरा

उपरोक्त परिदृश्य के कारण भारत व विश्व ‘साइबर धमकी’ के कारण चिंतित है कि हमारे देश का भविष्य, देश की युवा पीढ़ी, देश के भावी कर्णधार किस मानसिक कुण्ठा का शिकार होकर Cyber Bullying जैसी आपराधिक प्रवृति का पोषक बन रहा है। क्या हमारा परिवेश, हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारा पराक्रम, ऐतिहासिक परिदृश्य, शौर्य व वीर गाथाएँ, बालकों के इस प्रकार के कृत्यों पर स्वयं को कोस रहा होगा? क्या हमने संस्कार निर्माणों में कोई कमी की? या निर्माण की अवस्था में समुचित सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान नही कराया? या फिर परिवर्तित होते वैश्विक वातावरण का हम भी एक भाग बनकर उसमें अपने आप को समर्पित कर लिया।

❑ **प्रो. मधुर मोहन रंगा**

विकसित व परिवर्द्धित होते बालक के मन-मस्तिष्क पर परिवेश के पर्यावरण का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव उसके भावी व्यक्तित्व की आधारशिला होती है। जिस परिवेश व संस्कारों से बालक का बचपन अंगड़ाइयाँ लेते हुए, प्रत्येक अवसरों से साक्षात्कार कर युवा अवस्था में पर्दापण करता है, उसके प्रारंभिक काल (Critical Period) का प्रभाव उसके व्यवहार, स्वभाव, जिजीविषा पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाल्य अवस्थाओं की सम्पूर्ण घटनाओं का चित्रण उसके मन-मस्तिष्क में अध्यांकन (Imprinting) के रूप में अंकित रहता है। इसी अध्यांकन का प्रभाव उसके व्यवहार प्रकार (Behavior Pattern) पर पड़ता है। बाल्य काल में अर्जित ज्ञान (Acquired knowledge) शिक्षा-दीक्षा, मानस पटल पर अंकित घटनाओं, दृश्यों, वार्तालापों आदि का बालक के दीर्घकालिक व्यक्तित्व (Long term Personality) व लघुकालिक व्यक्तित्व (Short term Personality) पर पड़ता है। यही प्रभाव भविष्य में उसकी दिशा-दशा तय करने का आधार बनता है।

आज के भौतिकतावादी व तथाकथित वैज्ञानिक परिवेश में अपसंस्कृति के प्रभाव के कारण व पूँजीवादी सोच जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाल रही है, उससे सबसे अधिक प्रभावित, आने वाली पीढ़ी हो रही है। एकाकी परिवार व आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर होते परिवार को बच्चों को समय देने का समय ही नहीं है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण बालक एकाकी वातावरण में रहता है इसी कारण माता-पिता बच्चों को, आया के पास छोड़कर नौकरी पर चले जाते हैं। बालक टेलीविजन, कम्प्यूटर, सेल फोन का उपयोग कर विभिन्न खेलों मे अपना समय बिताने का प्रयास करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 23 जुलाई 2015 ने सेल फोन विकिरण के मस्तिष्क की

गतिविधियों पर प्रभाव का आकलन कर बताया कि सेल फोन विकिरण कारसीनोजन (Carcinogen) के रूप में कार्य कर मस्तिष्क कैंसर को प्रेरित करता है यदि उसका अत्यधिक उपयोग किया जाय तो यह विकिरण मानव के तंत्रिका तंत्र (Nervous system) पर प्रभाव डालती है क्योंकि मोबाइल फोन से इलेक्ट्रो-मेगनेटिक विकिरण (Electro magnetic radiations) जो 450-38000 Hz (Hertz) माइक्रो वेव रेंज के होते हैं। सेल फोन रेडियो तरंग ऊर्जा के रूप में निकटतम ऊतकों में संचित हो जाती है। वालनोव व अन्य (2011) ने रेडियो तरंग ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन कर बताया कि जो मस्तिष्क क्षेत्र जो तरंग उपकरण के पास था, उसमें अधिक ग्लूकोस उपापचय पाया गया जबकि वोरोब्येव (Vorobyev) व अन्य (2011) के परिणाम इसके विपरित थे, परंतु दोनों शोधों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के उपापचय पर विकिरणों का प्रभाव होता है। विभिन्न शोध विकिरणों के प्रभाव हेतु महामारी विज्ञान अध्ययन (Epidemiologic Studies) के द्वारा बीमारी के प्रकार, कारण व प्रभाव को ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या विकसित होते बालकों पर सेल फोन विकिरणों का प्रभाव ज्यादा होता है? सैद्धान्तिक (Theoretical) पक्ष इस सन्दर्भ में बालकों में अधिक कैंसर के संकट को इंगित करता है। पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर ब्रैन कैंसर के कारण मृत्यु दर (Mortality) में इजाफा हुआ है। आज कल देश में ब्लू व्हेल गेम के बारे मे चर्चा हो रही है, यह होना स्वभाविक ही है क्योंकि इससे विकसित होते बालकों के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। दैनिक भास्कर 18 सितम्बर 2017 के अनुसार रायपुर में 37 बच्चों के हाथ पर ब्लू व्हेल के कट पाये गये। यह गेम बच्चों व युवाओं को खतरनाक कामों के लिए उकसाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे खतरों से खेलने हेतु प्रेरित होते हैं। यह घटना चेतावनी देने वाली है क्योंकि इस प्रकार का कृत्य "Cyber Bullying" साइबर धमकी जैसी मानसिकता का द्योतक है। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितम्बर 2017 भारत में शहरी स्कूल के 10 प्रतिशत बालक ऑन लाइन इन्टरनेट गेम खेलते हैं, जिसमे चेहरे रहित खिलाड़ियों (face-less-players) से प्रतिस्पर्द्धा करना, स्वेच्छा से व लगातार नुकसान देने वाली धमकियाँ देते हैं। यह भारत में 'Cyber Bullying' की उपस्थिति को दर्शाता है अत: समय रहते इस पर निजात पाना आवश्यक है।

माइक्रोसॉफ्ट युवा का ऑनलाइन व्यवहार बताता है कि भारत में 53 प्रतिशत युवा जिनकी आयु 8-17 वर्ष की है Cyber Bullying की ओर अग्रसर हो रहा है। वैश्विक औसत जबकि 37 प्रतिशत है। ऑनलाइन गेम को ''चैलेंज गेम'' कहते हैं, यह खतरों से खेलने को प्रेरित करते हैं। ऑनलाइन गेम में ऐरोसोल-चैलेंज के नाम से अमेरिका के बच्चों ने अपने चेहरे पर ''ऐरोसोल'' नामक स्प्रे छिड़कने का मामला सामने आया, परिणामस्वरूप उनकी त्वचा जल गई। कुछ गेम में बच्चे सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज देते हैं जैसे खुद को आग से जलाना, किसी के सीने पर चढ़कर उसे साँस रोकने को कहना आदि। कुछ ऑनलाइन गेम खाने पीने से जुड़े हैं जैसे पिसे चूहे, कीड़ों का चॉकलेट, गोल्ड फिश को निगलना आदि। मासूम बच्चों को बरगलाकर, जान लेने वाले गेम व ऑनलाइन फायर चैंलेज गेम इसमें बच्चे स्वयं के उपर परफ्यूम, ज्वलनशील पदार्थ या लाइटर चालू कर आग लगाना हो। इस प्रकार विकसित होते बालकों पर एकाकी सोच, अपराध की प्रवृति, मानवीय संवेदनाओं से इतर, बालक इन्टरनेट के तथाकथित मूल सिद्धांत फ्री और ओपन (free and open) की ओर आकर्षित होकर हमारी मूल संस्कृति से दूर जा रहा है। 'मुक्त व खुले' इन्टरनेट की वकालत करने वाले लोग या कम्पनियाँ अनावश्यक व आपत्तिजनक सामग्री के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने मे नाकाम रही है। आज हम टेक्नोलॉजी संबंधी विकास की ओर अग्रसर होकर 5 जी युग में प्रवेश कर रहे हैं। 2007 में जब स्टीव जॉब्स आई फोन लेकर आये तो सेल फोन उद्योग में क्रांति आ गई। परिवर्तन के इस ज्वार को तब बल मिला, जब 14 जुलाई 2016 को अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक संचार

नियामक संस्था, एफसीसी (Federal Communication Commission) ने 5 जी मानक स्थापित करने का फैसला लिया। ये सभी प्रकार स्पीड व डेटा ट्रांसफर दर से जुड़े हैं।'स्पीड' व 'तीव्र गति' से कार्य करने की सोच बालकों के मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही है।

उपरोक्त परिदृश्य के कारण भारत व विश्व 'साइबर धमकी' के कारण चिंतित है कि हमारे देश का भविष्य, देश की युवा पीढ़ी, देश के भावी कर्णधार किस मानसिक कुण्ठा का शिकार होकर Cyber Bullying जैसी आपराधिक प्रवृति का पोषक बन रहा है। क्या हमारा परिवेश, हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारा पराक्रम, ऐतिहासिक परिदृश्य, शौर्य व वीर गाथाएँ, बालकों के इस प्रकार के कृत्यों पर स्वयं को कोस रहा होगा? क्या हमने संस्कार निर्माणों में कोई कमी की? या निर्माण की अवस्था में समुचित सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान नही कराया? या फिर परिवर्तित होते वैश्विक वातावरण का हम भी एक भाग बनकर उसमें अपने आप को समर्पित कर लिया। आज संयुक्त परिवार का लगातार होता विघटन व न्यूक्लीयर परिवार का विकास, व्यक्ति, समाज व परिवार के हृदय संवेदी भावनात्मक संबंधों में कमी, व्यक्ति की 'जीवन-शैली' पर अत्यधिक दबाव व 'जीवन' की परिभाषा में परिवर्तन, क्या इसका कारण है? आज के विद्यार्थी का जीवन यांत्रिक Mechanic हो गया है, दादा-दादी, नाना-नानी का सानिध्य व उनके द्वारा जातक कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश को सुनने का समय ही नहीं है। क्योंकि एकल परिवार में हमारे बुजुर्गों को सम्मानजनक स्थान ही नहीं है। वे तो वृद्धाश्रम या स्वयं एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन आया है। संस्कार देने वाली अनौपचारिक संस्था दादा-दादी का पलायन हो गया है या लुप्त हो गई है। नैसर्गिक गुणों के विकास का आधार पारम्परिक खेल था जो आजकल मृत प्राय हो गये हैं, विद्यार्थी का यांत्रिक जीवन उन्हें समय ही नहीं प्रदान करता है। इसी कारण ब्लू व्हेल, एरोसोल, फायर चैंलेज गेम आदि ऑनलाइन खेलों की ओर आकर्षित होता है। इसी कारण "Cyber Bullying" की प्रवृति विकसित होती जा रही है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण है हमारी स्व केन्द्रित प्रवृति है। जब बालक छोटा होता है तब छोटे भाई-बहन माँ की गोद को प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं व कहते हैं कि ''यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ की गोद है'' परंतु वही बच्चे जब 40-45 वर्ष के हो जाते हैं तब एक दूसरे को कहते हैं ''तेरी माँ, तेरी माँ''। यही विकृत सोच जो परिवर्तित होती भौतिकवादी सोच के कारण स्व केन्द्रित सोच को विकसित कर रही है। कहीं यही तो ऑनलाइन खेलों का बच्चों में आकर्षण का कारण तो नहीं है? अतः हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने हेतु हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, वैश्विक व आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना होगा तभी हमारे बच्चे जगजीत सिंह-चित्रा सिंह की गजल गुनगुनायेंगे ''यह दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ति, वो बारिश का पानी.....। ❑

(विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, सरगुजा वि.वि., अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़)

आज की स्थिति में अभिभावकों की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। माता-पिता से अलगाव की स्थिति दूर करने के लिए बच्चों को अधिक समय देने की जरूरत है। अभिभावक ही उन्हें अकेलेपन से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी समस्याओं पर गौर कर, उनका निदान करना और बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना। अपनी अपेक्षाएँ और महत्त्वाकांक्षाएँ उन पर लादना जरूरी नहीं है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए अपने निरीक्षण में रखते हुए उनका स्क्रीन टाइम सीमित कर दें। खेलने, योग करने, घूमने व अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। उनमें विलुप्त होती संवेदनशीलता के लिए सोशल मीडिया की जगह वास्तविक सामाजिक सरोकारों से जोड़ना व सहयोग का भाव जाग्रत करना होगा।

डिजिटल दुनिया में खोता बचपन

❑ **डॉ. रेखा भट्ट**

मानव जीवन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का आधार होता है। खुशहाल बचपन द्वारा व्यक्ति का जीवन शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनता है। खुशनुमा एवं तनावमुक्त पारिवारिक वातावरण में पलने वाले बच्चों में सहानुभूति, दया, करुणा, जैसी मानवीय भावनाएँ स्वत: विकसित होती हैं। स्वयं की परिकल्पना विकसित होने से वे अभिव्यक्ति की कला व निर्णय क्षमता में सक्षम बनते हैं। खुले आकाश के नीचे धूप, वर्षा, मिट्टी और सम्पूर्ण प्रकृति के साथ बड़े होते हुए, कुछ सीखने के दबाव के बिना, विज्ञान की अवधारणाएँ भी स्वत: आत्मसात करते जाते हैं। प्रकृति संरक्षण के कानूनी नियम जाने बिना वे, अवचेतन में स्वयं को प्रकृति के एक अंश के रूप में पहचान पाते हैं। परम्परागत परन्तु असंयोजित खेलों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से उनमें सामूहिक समन्वय करने की क्षमता आती है। बिना किताबी, तकनीकी ज्ञान के भी बच्चे कई प्रकार के कौशल में दक्ष हो जाते हैं।

मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकास को औद्योगिक क्रान्ति और सूचना क्रान्ति से गति मिली। आधुनिकता के साथ तकनीकी विकास ने मनुष्य की जीवन शैली को पूर्णतया बदल दिया। चार दशक पूर्व टीवी और वीडियो गेम्स ने बच्चों के मनोरंजन के साधन के रूप में घर-घर में प्रवेश किया। डिजिटल क्रान्ति के साथ कम्प्यूटर का आकार सिमटते हुए मोबाइल बच्चों के हाथों में पहुँच गया। आज डिजिटल दुनिया में बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने व मनोरंजन करने की आवश्यकताएँ धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा में बदल गई। बिल गेट्स व जुकरबर्ग को अपना आदर्श रखते हुए बच्चों को बहुत जल्दी और बहुत अधिक सिखाने की होड़ में वे, मशीन बनते जा रहे हैं।

बच्चों की आवश्यकताओं के अलावा एकाकी परिवारों व एकल अभिभावकों के साथ रहते हुए बच्चों को घर के किसी सदस्य की देखरेख में नहीं रखा जा सकता। वहीं कामकाजी माता-पिता घर के बाहर बच्चों को खेलने देने में उनकी असुरक्षा से चिन्तित रहते हैं। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों को चलने-फिरने लायक होने से पहले

ही स्मार्ट फोन और टेबलेट्स के साथ रहने का अभ्यस्त कर दिया जाता है। इस तरह तकनीकी साधनों के साथ बड़ी होती हुई बच्चों की पीढ़ी तथा तकनीकी साधनों की कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ माता–पिता के बीच डिजिटल अन्तराल आ जाता है। बच्चों द्वारा माता–पिता को कमतर समझने व अति आत्मविश्वास के आगे माता–पिता अपनी डिजिटल असमर्थता से भयभीत व असहाय महसूस करते हैं और बच्चों को तकनीकी साधनों के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं।

आज अमेरिका में बच्चे भौतिक संसाधनों व तकनीक में अपडेट होते हुए भी अभिभावकों के साथ से वंचित होने के कारण निरंकुश, एकाकी व तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। सोशल मीडिया की सभी साइटों से जुड़कर स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाएँ व्यक्त करने के बावजूद कुंठाग्रस्त रहते हैं। परिवार और समाज के प्रति क्रोध और घृणा पनपने से इतने आक्रोश में भर जाते हैं कि अपने ही साथियों, शिक्षकों पर घातक हमले कर नुकसान पहुँचाने के साथ स्वयं को भी चोट पहुँचाते हैं। इस तरह की घटनाएँ भारत में भी शुरू होना, बच्चों के डिजिटल दुनिया से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक वातावरण को सुधारने की आवश्यकता की ओर संकेत है।

तकनीकी साधनों द्वारा बच्चों के कार्य आसान बनाये जा सकते हैं किन्तु बच्चों के स्वभाव और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें आत्मीयता और सहृदयता से जीवन को सही दिशा माता–पिता ही दे सकते हैं। ई–लर्निंग द्वारा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया तेज हो सकती है किन्तु बच्चे की योग्यता व प्रतिभा पहचान कर आगे बढ़ने की प्रेरणा शिक्षक ही दे सकते हैं। आज बच्चे बड़ों के सम्पर्क में नहीं होने से प्रत्येक समस्या के समाधान के लिये सूचनाओं व जानकारियों के लिये इन्टरनेट पर निर्भर रहते हैं। विद्यार्थी प्रश्न पूछने, जिज्ञासा उत्पन्न करने, प्रतिक्रिया एवं विचार व्यक्त करने जैसी किसी कक्षा–कक्षीय गतिविधि में सम्मिलित नहीं होते। वर्चुअल क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड और लेपटॉप वर्चुअल टीचर का काम करते हैं। इससे शिक्षक, विद्यार्थी संवाद तथा सीखने–सिखाने की प्रक्रिया नहीं होती। शेष समय में ई–बुक्स पढ़ने या वीडियो गेम खेलने में व्यस्त बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने कुछ नया करने व सीखने के अभ्यास का समय नहीं होता है।

बच्चे कई घण्टों टी.वी. या कम्प्यूटर स्क्रीन के सम्पर्क में रहते हैं। इससे उनका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य धीरे–धीरे प्रभावित होता है और उनके पूरे जीवन को रोगग्रस्त कर देता है। नेटवर्किंग या वीडियोगेम खेलते हुए बच्चे करो या मरो की मनःस्थिति में स्क्रीन से अलग नहीं हो पाते। इससे उन्हें (ESS) इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन सिण्ड्रोम हो जाता है। स्क्रीन के सामने बैठने की लत से स्थिरता व एकाग्रचित होने की प्रवृत्ति समाप्त होती है और तनाव, अवसाद व निराशा का भाव पनपने लगता हैं जो धीरे–धीरे ऑटिज्म के रूप में प्रकट होने लगता है। वे समाज से कट कर अकेले मोबाइल या कम्प्यूटर पर रहना पसन्द करते हैं। ये स्थिति अधिक समय रहने पर मनोविकृति व न्यूरोसिस जैसी बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। आँखें कमजोर होना, अनिद्रा और सिर दर्द आज अधिकाँश बच्चों में सामान्य लक्षण हैं। कई घंटो गैजेट्स के साथ बैठे रहने से बच्चों में मोटापा (पोटेटो काउच) एक बीमारी के रूप में बढ़ता जा रहा है। शारीरिक गतिविधियों के अभाव में हड्डियों व मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वे कमजोर बने रह जाते हैं।

बच्चे कितने भी तकनीकी कौशल में निपुण हो जाएँ वे कई बार साहस दिखाने के लिए, रोमांच बढ़ाने के लिए, सीमाएँ तोड़ने की कोशिश में या मुफ्त डाउनलोड सेवाओं के प्रलोभन में ऐसी साइट्स के सम्पर्क में आते हैं जो बच्चों को अपराध करने व आत्मघाती बनने को उकसाती है। तकनीकी फंतासी द्वारा बच्चों में आभासी भय उत्पन्न कर चुनौती स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता है और वे स्वयं की जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठते हैं। बच्चों को क्रूरता से भरे लड़ाई वाले विडियो गेम्स अधिक लुभा रहे हैं इनमें मस्तिष्क शान्त नहीं रहता और वे आक्रामक बन जाते हैं। मार्केटिंग व प्रचार सामग्री के माध्यम से भी बच्चे ऐसी खतरनाक सामग्री के सम्पर्क में आते हैं जिनसे कॉमर्शियल वेबसाइट्स सबसे अधिक मुनाफा कमा रही है। ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएँ, अन्य विज्ञापन सेवाओं का 15 प्रतिशत होते हुए भी विज्ञापन इण्डस्ट्री सबसे ज्यादा लाभ कमाने के

कारण तेजी से बढ़ रही है।

बच्चे स्मार्ट फोन, कम्प्यूटर आदि डिजिटल दुनिया में तकनीकी साधनों के उपयोग की स्वतंत्रता में अपना बचपन खोते जा रहे हैं। बच्चों में ज्ञान बढ़ाने व उत्पादकता बढ़ाने में इन्टरनेट उपयोगी हो सकता है, किन्तु अभिभावकों व शिक्षकों की कमी पूरी नहीं कर सकता। बच्चे बड़ों के अनुभवों को देख कर सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों के यन्त्रवत् होते व्यवहार को अभिभावकों के शिष्टाचार, विनम्रता, सहनशीलता, जैसे गुणों से विवेकपूर्ण बनाया जा सकता है।

आज की स्थिति में अभिभावकों की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। माता-पिता से अलगाव की स्थिति दूर करने के लिए बच्चों को अधिक समय देने की जरूरत है। अभिभावक ही उन्हें अकेलेपन से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी समस्याओं पर गौर कर, उनका निदान करना और बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना। अपनी अपेक्षाएँ और महत्त्वाकांक्षाएँ उन पर लादना जरूरी नहीं है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए अपने निरीक्षण में रखते हुए उनका स्क्रीन टाइम सीमित कर दें। खेलने, योग करने, घूमने व अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। उनमें विलुप्त होती संवेदनशीलता के लिए सोशल मीडिया की जगह वास्तविक सामाजिक सरोकारों से जोड़ना व सहयोग का भाव जाग्रत करना होगा।

बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सावधान करना उसी प्रकार है जैसे हम बच्चे को पहली बार उँगली पकड़ कर सड़क पार करना सिखाते हैं। डिजिटल दुनिया में खतरे की परिस्थितियाँ नित नया रूप धारण कर लेती है जो कल्पना से परे होती हैं। अतः बच्चों को समय-समय पर जागरूक करने की परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को इंटरनेट व कम्प्यूटर सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षण व प्रशिक्षण जरूरी है।

एक नीति बनायी जाए तथा व्यावसायिक वेबसाइटों और विज्ञापन सेवाओं को अनुचित सामग्री हटाने के निर्देश दिये जाएँ। बच्चों को हानिकारक सामग्री देने व गुमराह करने वाली साइटों को अपराधिक कानून के तहत गैर कानूनी घोषित करने व प्रतिबन्धित करने के नियमों को कठोरता से लागू किया जायें। ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो माता-पिता को बच्चों की कम्प्यूटर गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करते हैं इसकी जानकारी के लिये कार्यशालाएँ आयोजित करें। ऐसी धर्मार्थ संस्थाएँ व अन्य व्यावसायिक कम्पनियाँ जो अनावश्यक इन्टरनेट सामग्री पर नजर रखें उनकी समीक्षा समय-समय पर कर उन्हें मुख्य साइट पर प्रदर्शित होने से रोकने की सार्वजनिक अपील करें।

बच्चों द्वारा तकनीकी के डिजिटल उपयोग को सीमित और नियन्त्रित करने से ही उनका सहज एवं स्वाभाविक विकास होगा। बच्चों को खुशहाल बचपन मिलेगा और देश की भावी युवा पीढ़ी की सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी।❑

(व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर)

बाल केन्द्रित शिक्षा से चहकता बचपन

जब तक बालक स्कूल के वातावरण के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनकी शिक्षा प्रभावपूर्ण नहीं हो सकेगी और वह शिक्षा बालकेन्द्रित शिक्षा नहीं कहलायेगी। शिक्षालय में बालक शिक्षक के सम्बन्ध मधुर व आत्मीय होने चाहिये। बालक कैसी भी शारीरिक एवं मानसिक परिस्थिति का हो, उसके साथ जितना सहज बनकर, उसके भीतर उतरने की कोशिश की जायेगी तो वह अधिक से अधिक हृदयङ्गम करने में रुचि रखेगा। शिक्षण में बालकों की भागीदारी हो, कठिनाइयों, समस्याओं से जूझना सीखे, वही शिक्षा बालोपयोगी शिक्षा होगी। अति उत्साह और अपेक्षा के लिए दी गई शिक्षा भविष्य में बालक के लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है।

❑ **बजरंग प्रसाद मजेजी**

अपने बच्चों को नीले आसमाँ के नीचे जी भरकर उछल-कूद करने दो। इन्हें प्रकृति की गोद से परे मत करो। वृक्षों और लताओं से बने प्रकृति के मनोरम रंगमंच पर ऋतुओं के अदल-बदल का अजूबा उनके सामने प्रकट होने दो। अपने बच्चों को इस विद्यालय जगत् में भली प्रकार आँखें खोलकर प्रकृतिमाता के मन भरने तक दर्शन करने दो। - रवीन्द्र नाथ टैगोर

रवीन्द्र बाबू को स्कूल व्यवस्था की चारदिवारी में यांत्रिकता व बोझिलपन से चिढ़ थी। विद्यालय समय पर पहुँचने के लिए जल्दी-जल्दी भोजन निगलकर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चे के स्कूल पहुँचने को वे मृगशाला में उपस्थित होना बताते हैं। बालक के स्वच्छंद धरती माता की गोद में खेलने के अधिकार को आजकल तीन वर्ष की आयु के बाद ही समाप्त कर दिया जा रहा है अर्द्धनिद्रा से उठाकर ट्यूशन पर भेजना, जैसे-तैसे कुछ खिलाना, टिपन भेजकर स्कूल की चारदीवारी में प्रवेश कराना अभिभावकों का पुण्य कार्य बन गया है। शिक्षा को दीवार के घेरे में, द्वार से रोककर, संतरी बिठाकर दंड के प्रावधान कर, घंटे-घंटियों से बालक को सचेत कर शिक्षा का विचित्र रूप बना दिया है। बाल मनोवैज्ञानिक डॉ. परमशुक्ल के अनुसार आजकल अभिभावक देखा-देखी और स्पर्द्धा के चलते बालक को बड़े-बड़े भव्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाना शान समझते हैं, जबकि प्रत्येक बालक की रुचि, व्यक्तित्त्व अलग-अलग होता है। उन पर प्रवृत्तियाँ, अपेक्षाएँ जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। बच्चे का प्रकृतिदत्त स्वभाव है उसकी अहमवृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह अपने आपको कमतर नहीं मानता। बालक स्वत: ही जिस क्षेत्र में ज्ञानार्जन करने में सक्षम हो वही बालकेन्द्रित शिक्षा होगी। विद्यालय में पढ़ाई और फिर घर में होमवर्क और इसके साथ ही इन दिनों के नये चलन के अनुसार ट्यूशन के दबाव में बालक कुंठित, एकाकी व सामाजिक ताने-बाने से दूर हो रहे हैं। बाल मनोवैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं कि आज के बच्चे संवेदनहीन, जिद्दी, एकाकी, अनुशासनहीन, असंस्कारी होते जा रहे हैं। विद्यालय में भारी भरकम पाठ्यक्रम, परीक्षा में अच्छे नम्बर लाने की अभिभावकों की अपेक्षा, वजनी बस्ते के

बोझ से दबे बालक की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। गिजुभाई ने कहा है कि विद्यालय में बच्चे दो साल पढ़ेंगे, दो पल खेलेंगे, कम पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे तो भी चलेगा। परन्तु अगर बच्चे कारखाने के मजदूर की तरह दिनभर पढ़ने लिखने का काम करते रहेंगे और चीख-चीख कर पढ़ते-पढ़ते उकता जायें, शिथिल हो जाए, फिर हम उन पर सख्त नजर किये रहेंगे तो यह नहीं चलेगा। बच्चों के बचपन पर कठोरता ठीक नहीं है। बच्चे आँखों के तारे हैं, दुलारे हैं। बच्चे बगिया के फूल हैं, घर की शोभा हैं, घर की किलकारी हैं, रौनक हैं। माता-पिता की उम्मीद हैं। ईश्वर की नियामत हैं इसलिए कहते हैं- मेरे भगवान बालकों में हैं। बालमन पर घर के वातावरण, परिवार के सदस्यों का परस्पर व्यवहार, बालक के प्रति नजरिये का बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक को संस्कारित एवं सुशिक्षित करने के लिए आवश्यक है कि घर का वातावरण शांतिपूर्ण हो। बालक के हर तनावपूर्ण समय में परिवार उसका समुचित मार्गदर्शन करे।

माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा।।

जो माता-पिता अपने बालक को पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं करते वे उनके शत्रु हैं। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति उसी प्रकार शोभा नहीं पा सकता जैसे बहुत सारे हंसों के बीच बगुला उपहास का पात्र बन जाता है। माता-पिता का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा-दीक्षा देवें। देख-रेख की कमी, अभिभावकों द्वारा बालकों के प्रति अनदेखी के कारण बालकों के आचार विचार रहन-सहन, बोलचाल व्यवहार में तरह-तरह की बुराइयाँ घर करती जा रही हैं। गाँव से लेकर शहर तक के विद्यार्थियों में उदंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता आज सामान्य बात होती जा रही है। बालक टी.वी., इन्टरनेट, मोबाइल, दूषित अश्लील साहित्य, सिनेमा के फूहड़ दृश्यों को देखकर दुर्व्यसनों के जाल में फँसता जा रहा है। बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

डाँट फटकार से कुछ बात नहीं बनती है, प्यार बच्चों में लुटायें तो कोई बात बनती है।

कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, आने वाली कल की तस्वीर और तकदीर हैं। भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। आओ राष्ट्र का निर्माण करें, शुरूआत बच्चों से करें। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है - **बालक मानव का जनक है।**

बालक माँ बाप के दुलारे, गुरुजनों के हैं प्यारे, ऐसे लगे जैसे आकाश के तारे, मेरे वतन के बच्चों को सभी निहारें।

बालकेन्द्रित शिक्षा हो - इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षक सबसे पहले बच्चे में स्कूल के प्रति लगाव पैदा करे। जब तक बालक स्कूल के वातावरण के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनकी शिक्षा प्रभावपूर्ण नहीं हो सकेगी और वह शिक्षा बालकेन्द्रित शिक्षा नहीं कहलायेगी। शिक्षालय में बालक शिक्षक के सम्बन्ध मधुर व आत्मीय होने चाहिये। बालक कैसी भी शारीरिक एवं मानसिक परिस्थिति का हो, उसके साथ जितना सहज बनकर, उसके भीतर उतरने की कोशिश की जायेगी तो वह अधिक से अधिक हृदयङ्गम करने में रुचि रखेगा। शिक्षण में बालकों की भागीदारी हो, कठिनाइयों, समस्याओं से जूझना सीखे, वही शिक्षा बालोपयोगी शिक्षा होगी। अति उत्साह और अपेक्षा से लिए दी गई शिक्षा भविष्य में बालक के लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है। अभिभावक को बाल मन के अनुसार सहज शिक्षा लेने का वातावरण बनाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि

लिखते-लिखते ही आएगा, लिखने का फन उन्हें, बच्चे खराब करते हैं, कापियाँ अभ्यास करने में। बालकों की कमियों को नहीं उनकी जिज्ञासाओं, रुचि, मानसिकता को समझकर, व्यवहार करते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिये।

बाल केन्द्रित शिक्षा के लिए अभिभावक-शिक्षक से अपेक्षा -

- बालक को कामयाबी के लिए निरन्तर प्रेरित करते रहें।
- आत्म निर्भर बनाएँ ताकि उनमें आत्म विश्वास पैदा हो।
- अनुचित आदतें न पनपने दें, सद्‌गुणों का विकास करें।
- घरेलू वातावरण को पवित्र रखें, आदर्श प्रस्तुत करें।
- बालकों में सहयोग और मित्रता की भावना जाग्रत करें।
- बालकों को अनावश्यक रूप से डाँट-फटकार नहीं लगायें।
- बालक को नकारात्मक शब्द से सम्बोधित नहीं करें।
- जीवन में नियमितता बनाये रखने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन देते रहें।
- बालक के चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दें।
- बालक को बुरी संगत से दूर रहने की शिक्षा दें।
- बालक में एकाग्रता, इच्छाशक्ति तथा संकल्पशक्ति का विकास करें।

निष्कर्षतः बालक राष्ट्र व समाज की अमूल्य धरोहर है। बालक राष्ट्र का भविष्य निर्माता है। उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षमता पर भावी समाज, राष्ट्र की उन्नति और विकास निर्भर करता है तथा बालक को चरित्रवान, संयमी, अनुशासित-सहिष्णु, उत्तम नागरिक बाल केन्द्रित शिक्षा से बनाया जा सकता है। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

यदि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर वास्तविक रूप से देश में लोगों को पौष्टिकता स्तर बढ़ाना चाहती है तथा नौनिहालों को हँसते व खिलते बढ़ते देखना चाहती है तो खाद्य सुरक्षा को मात्र औपचारिकता के रूप में प्रदान ना कर कठोर नियन्त्रण व समुचित देख-रेख में खाद्यान्न सामग्री का आवंटन व वितरण करे ताकि वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके ओर देश के करोड़ों बच्चे कुपोषण व गंभीर बीमारियों से बच सकें। तभी सही मायनों में सक्षम व समर्थ युवा पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा जो महान राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में कार्य कर पाएगी।

बच्चों में कुपोषण व उनकी खाद्य सुरक्षा

❑ डॉ. प्रकाश चन्द्र अग्रवाल

भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसमें प्रति व्यक्ति आय विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। विश्व की लगभग 1/6 जनसख्या यहाँ निवास करती है जिसमें से 28 प्रतिशत बच्चे हैं जो 0-14 आयु वर्ग में शामिल होते हैं, इनमें 40 प्रतिशत बच्चे कम वजन व कुपोषण के शिकार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि निर्धनतम परिवारों के प्रत्येक 10 बच्चों में से 6 बच्चे कुपोषण का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष तक की आयु समूह के 44 बच्चे कम वजन या कम भार के हैं जबकि 72 प्रतिशत शिशु और 52 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित है। विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि गर्भाधान के दौरान यदि महिला कुपोषित या एनीमिक है तो भविष्य में पैदा हुए बच्चे में शारीरिक व मानसिक अपंगता एवं विभिन्न प्रकार के रोगों की संभावनाएँ सामान्य महिला के शिशु की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इनडैक्स 2017 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें भारत 118 राष्ट्रों में 97 स्थान पर है जो भारत में गंभीर भुखमरी की स्थिति को दर्शाता है।

दर्पण हमें अपना प्रतिबिम्ब दिखलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है। उसी प्रकार आज के बालक राष्ट्र के आने वाले भविष्य का दर्पण हैं जो भविष्य का प्रतिबिम्ब दिखलाते हैं कि देश कितना कार्यक्षम व कुशल होगा एवं आने वाले समय में किस दिशा की ओर अग्रसर होगा। जब अंकुर और कोंपलें मुरझायी हुई होंगी, जब बीजों में घुण लगे होंगे तो हरे-भरे छायादार व फलदार वृक्षों की कल्पना मिथ्या साबित होंगी।

समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टस् वास्तविक स्थिति सामने रखने का प्रयास करती हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार महिला शिशु की स्थिति और भी गंभीर है भारत में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है भ्रूण हत्या आम तथ्य है अनपढ़ से पढ़े-लिखे लोगों में यह सामान्य सी घटना है। यहाँ तक की मध्यमवर्गीय परिवारों में बेटे व बेटी के खानपान में भी भेदभाव किया जाता है। इसका एक उदहारण कुछ दिन पूर्व देखने को मिला। इन्हीं दिनों राजस्थान के एक गाँव में जाने का मौका मिला, स्कूली छात्राओं के साथ बातचीत करते हुए छात्राओं ने बतलाया कि उनकी माँ उनके भैया को रात में दूध में तारे दिखलाती है

हमें आश्चर्य हुआ वो कैसे तो उन्होंने बतलाया कि माँ उनके भाइयों को दूध में घी डालकर पीने को देती हैं जिससे वे बलिष्ठ हो सके जबकि उनको दूध भी पीने को नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि तुम तो छोरियाँ हो, तुम्हें तो पराये घर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि माता-पिता स्वयं जननी को बचपन से कुपोषित कर रहे हैं जो समर्थ हैं। जब आगाज ही ऐसा होगा तब अंजाम कैसा होगा? शिशु मृत्यु व कम वजन का एक प्रमुख कारण माँ का कुपोषित होना है।

दूसरी तरफ भारत के अनेक राज्यों में लोग भूख मिटाने हेतु ऐसी अनेक चीजों का उपयोग करते हैं जो उनकी भूख तो जरूर मिटाती है परन्तु जिन्दगी भर के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से पंगु बना देती है, जैसे खसेरी दाल जो जंगलों में आसानी से पैदा हो जाती है परन्तु इनके अत्यधिक सेवन से शरीर के विभिन्न भागों के लकवाग्रस्त होने की संभावना काफी बढ़ जाती है तथा भूख से बचने के लिए आम की गुठलियों से आटा पीसकर रोटियाँ बनाना आदि। भारत की लगभग एक चौथाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है, अर्थात् उनकी आमदनी 1.5 डॉलर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से भी कम है, तब ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को पर्याप्त व पौष्टिक आहार कहाँ से उपलब्ध करवाये, ये एक विड़म्बना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नक्से ने बतलाया था कि देश निर्धन क्यों हैं, क्योंकि वह निर्धन हैं। अर्थात् निर्धनता का कारण स्वयं निर्धनता है। उनका मानना है कि गरीबी के कुचक्र चलते हैं जिसका परिणाम गरीबी होता है, अब यदि व्यक्ति कुपोषित है तो कार्यक्षमता का अभाव होगा वह रोग ग्रस्त रहेगा, काम ना करने से आमदनी नहीं होगी। आमदनी के अभाव में पौष्टिक पदार्थ खरीदने की असमर्थता- परिणाम कुपोषण। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है और गरीबी के कुचक्र तोड़ने हेतु आमदनी में बढ़ोतरी आवश्यक है।

हमारा राष्ट्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। राष्ट्र की कल्पना के साथ ही सरकारों का प्रथम कर्तव्य राष्ट्र के लोगों की महत्त्वपूर्ण जरूरत रोटी यानी खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना होना चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा में तीन पहलू जुड़े हैं प्रथम पहलू, उपलब्धता (अनाज लोगों की माँग के अनुरूप उपलब्ध हो यदि उत्पादन की कमी है तो आयात कर उसे पूरा किया जाए) दूसरा पहलू, पहुँच (अर्थात् अनाज हर गली, मोहल्ले, बाजार में उपलब्ध हो ताकि लोग उस तक पहुँच सके) तीसरी महत्त्वपूर्ण बात है, क्रय शक्ति (अर्थात् अनाज आप के पास उपलब्ध है और आपके पास पर्याप्त पैसा है जिससे आप उसे खरीद सकें।

भारत सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात् पुरुषों, महिलाओं और बालकों को खाद्यान्न सुरक्षा देने का प्रयास किया, प्रथमतः देश खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज की खरीददारी कर विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक बनवाए। उस अनाज का वितरण उचित दामों व रियायती दामों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता रहा। बाद में इसी को विशेष आवश्यकता व गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने हेतु लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम दिया गया और तीन प्रकार के राशन कार्ड बनाकर विभिन्न दरों पर अनाज वितरण किया जाने लगा। सरकार द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा हेतु अनेक उपाय किये गए जिनमें अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा बिल आदि लाए गए। अन्त्योदय योजना में 35 किग्रा प्रति परिवार, प्रति माह गेहूँ या चावल दो रुपए किग्रा व तीन रुपए प्रति किग्रा की दर से राशन की दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया वहीं खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक द्वारा 35 किग्रा के अतिरिक्त 5 किग्रा गेहूँ या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही आँगनबाड़ी कार्यक्रमों के द्वारा गर्भवती महिला व दूध पिलाने वाली महिला को 6000रु. या खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवायी जा रही है। 6 माह से 6 साल के बच्चे हेतु आँगनबाड़ी द्वारा पौष्टिक आहार नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक अन्य योजना मिड-डे-मील योजना है। इसमें 6-14 वर्ष तक के बच्चे को विद्यालय की छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि नामांकन दर में बढ़ोतरी के साथ पौष्टिक आहार भी दिया जा सके तथा जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएँ सरकार द्वारा चलायी जा रही है। इस प्रकार देश के बच्चों महिलाओं व पुरुषों की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा कर उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके।

परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने विभिन्न प्रयासों के कारगर नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं योजनाओं का मात्र 10 प्रतिशत लाभ ही आवश्यकता वाले लोगों तक पहुँच पा रहा है 90 प्रतिशत भाग लालफीताशाही, अफसरशाही व भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रहा है जिस पर कोई कारगर नियन्त्रण नहीं है। राशन की दुकानों से सामान सीधा बाजार में विक्रेताओं के पास पहुँच जाता है, बचा खुचा घटिया गुणवत्ता व कम तौल का सामान अनेक प्रतिबन्धों व अनेक चक्करों के पश्चात् आवश्यकता वाले लोगों को दिया जाता है। खाद्यान्न निगमों में करोड़ों टन अनाज उचित देख-रेख के अभाव में सड़ जाता है। अनेक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में गोदाम (भण्डारण) व अनाज की सुरक्षा (उचित देखभाल) के अभाव में अनाज खराब हो जाता है। लाभान्वितों को जो सामान उपलब्ध करवाया जाता है वो इस तरह दिया जाता है जैसे भीख दी जा रही है इससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होने के स्थान पर स्वाभिमान पर चोट पहुँचती है। मिड-डे-मील योजनाओं में पोषाहार के स्थान पर लापरवाही से बनाया गया सड़ा-गला व कीड़े-मकोड़े पड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा है जिसको खाकर अनेक बच्चे अस्पताल पहुँच जाते हैं।

यदि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर वास्तविक रूप से देश में लोगों को पौष्टिकता स्तर बढ़ाना चाहती है तथा नौनिहालों को हँसते व खिलते बढ़ते देखना चाहती है तो खाद्य सुरक्षा को मात्र औपचारिकता के रूप में प्रदान ना कर कठोर नियन्त्रण व समुचित देख-रेख में खाद्यान्न सामग्री का आवंटन व वितरण करे ताकि वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके ओर देश के करोड़ों बच्चे कुपोषण व गंभीर बीमारियों से बच सकें। तभी सही मायनों में सक्षम व समर्थ युवा पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा जो महान राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में कार्य कर पाएगी। ❑

(आचार्य, भौतिक शास्त्र एवं प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर)

आज के तकनीकी माहौल में लोगों के रहन-सहन में जमीन आसमान का अन्तर आया है जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव आ चुका है। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ लोग यह मान चुके हैं कि निरक्षरता एक अभिशाप है और प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा के प्रति जागरूक होना तो बेहतर है लेकिन इसे अर्जित करने में अभिभावकों ने स्वयं और बच्चे के लिए एक तनावग्रस्त वातावरण का निर्माण कर दिया है। जब बच्चा दो वर्ष का ही होता है तभी उसके माता-पिता को बच्चे की शिक्षा और स्कूल की चिंता होना शुरू हो जाती है।

मुश्किल में है बच्चा

❑ डॉ. संजीव कुमार

बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। घर में बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों से ही रौनक होती है। अब जरा विचार कीजिए कि यदि हमारा बच्चा अस्वस्थ हो जाये तो घर का प्रत्येक सदस्य तब तक परेशान रहता है जब तक कि बच्चे को स्वास्थ्य लाभ न मिले। आज के तकनीकी माहौल में लोगों के रहन-सहन में जमीन आसमान का अन्तर आया है जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव आ चुका है। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ लोग यह मान चुके हैं कि निरक्षरता एक अभिशाप है और प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा के प्रति जागरूक होना तो बेहतर है लेकिन इसे अर्जित करने में अभिभावकों ने स्वयं और बच्चे के लिए एक तनावग्रस्त वातावरण का निर्माण कर दिया है। जब बच्चा दो वर्ष का ही होता है तभी उसके माता-पिता को बच्चे की शिक्षा और स्कूल की चिंता होना शुरू हो जाती है। उनके मन में सम्भावित प्रश्न होते हैं –

- किस विद्यालय में बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी है ?
- कौन से विद्यालय में प्रवेश को आवेदन करना है ?
- कौन से विद्यालय में प्रवेश मिलने की सम्भावना है ?
- उसका कितना प्रवेश शुल्क होगा ?
- न जाने कितनी राशि डोनेशन के रूप में देनी होगी ?
- बच्चे की वर्दी और पुस्तकों को किस दुकान से खरीदना है?
- बच्चे को विद्यालय कौन ले जाएगा और कौन लाएगा?

लेकिन मोहल्ले या गाँव में अपने रिश्तेदारों या सहयोगियों के बच्चे अगर प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ते हों तो यह सोच कर भी माता-पिता अपने आप को हीन मानसिकता का शिकार बना लेते हैं। यदि प्रवेश मिल भी जाता है तो भी बच्चे को 3-4 वर्ष में ही पढ़ाई का बोझ सहन करना पड़ता है। यही नहीं, बच्चे को घर पर भी आते ही ट्यूशन भेज दिया जाता है। जहाँ बच्चों को इस आयु में मानसिक व शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है और उनके खेलने का समय होता है वहीं उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करने की अपेक्षा माता-पिता बच्चों के लिए टेलीविजन या मोबाइल खेलों का प्रबंध कर अपने आप को महान समझते

हैं। महज 10 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते बच्चों की आँखों में चश्मा लग जाता है। बच्चा शारीरिक रोग के कारण पूर्णतया विकसित नहीं हो पाता। जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है, कक्षा भी बढ़ने लगती है और उसके ऊपर पढाई का तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है।

यह गौरतलब है कि सभी बच्चे मानसिक तौर पर समान रूप से विकास नहीं कर पाते। कोई बच्चा अधिक कुशल होता है तो कोई कम। इसलिए बच्चों के माता-पिता को यह समझना अति आवश्यक है कि वे अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें और उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें जिससे वे यह जान पायें कि उनका बच्चा पढाई में रुचि ले रहा है या नहीं। लेकिन खेद इस बात का है कि आज उससे यह प्रश्न कोई नहीं पूछना चाहता है कि -

- उसे पढ़ने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?
- क्या विद्यालय में सब ठीक-ठाक से चल रहा है ?
- उसे कक्षा में कोई तंग तो नहीं करता ?
- कक्षा में वह अपने आप को हीन भावना से तो नहीं देखता?
- अध्यापक कक्षा में उससे कैसा व्यवहार करते हैं?
- क्या बच्चा अध्यापक से अनावश्यक डरता तो नहीं?
- क्या विद्यालय में सीखने-सिखाने के उचित वातावरण है ?
- विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ कैसी हैं ?
- विद्यालय में उससे कोई अनावश्यक छेड़-छाड़ तो नहीं करता?
- बस में विद्यालय जाते-जाते उससे दुर्व्यवहार तो नहीं होता ?

आम तौर पर सभी बच्चों का गृह कार्य और परीक्षाओं के अंकों को ही महत्त्व देते हैं। उसके बारे में तो आते ही पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि कम अंक आने पर अपने बच्चों का मनोबल अन्य विद्यार्थियों से तुलना करके

न गिराएँ। इससे बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाता है। आवश्यकता है बच्चे को और उसकी भावनाओं को समझने की। डाँटकर पूछने की बजाए उससे एक मित्र की भांति यह पूछे कि-

- उसका पढाई में मन क्यों नहीं लगता?
- वह क्या करना चाहता है ?
- वह क्या बनना चाहता है ?
- उसकी रुचि किस क्षेत्र में है?
- उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ?

माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चे कि इच्छा के अनुसार जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है वही शिक्षा दिलवाएँ। अगर जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोंपने का प्रयास करेंगे, उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध डॉक्टर या इंजीनियर बनाने कि कोशिश करेंगे तो आपका यह प्रयास बच्चों पर विपरीतता का आभास कराएगा और वे मानसिकता का शिकार हो सकते हैं।

हमें क्या करना है ?

बच्चे के माता-पिता, अध्यापकों और समाज का यह परम कर्त्तव्य है कि बच्चों को समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम, बच्चे को मनोविज्ञानिकों और शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तावित आयु पूर्ण पर ही विद्यालय को भेजें। उन्हें अनावश्यक प्रतिस्पर्धाओं में न धकेलें। उनको अपनी गति से पढ़ाई करने दें। उनकी समस्याओं का समाधान करें। उनमें अच्छे संस्कार भरें। उनको अंगुली पकड़कर चलाने की बजाए उनको मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनाएँ। प्रतिदिन कसरत और व्यायाम करने का महत्त्व समझाएँ और यह करने के लिए प्रेरित करें। जीवन में सुबह जल्दी उठने के लाभ बताकर ऐसा करने का वातावरण बनाएँ। रोज का कार्य रोज करने की आदत डालें। बच्चों को बचपन से ही मोबाईल पर खेल खेलने की आदत न डालें। बच्चों में तनाव की स्थिति आने के कारण ही कितने ही बच्चों ने ब्लू-व्हेल नामक खेल से प्रभावित होकर आत्महत्या कर ली है। इसलिए उनको मिटटी में, रेत में, आँगन में खेलने दें। इससे बच्चों को प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मिलेगा, शरीर बलवान होगा और वे तनाव मुक्त रहेंगे। यदि आपका बच्चा आपको किसी डर का या मानसिक तनाव की शिकायत करता है तो इसे सामान्य न लें और विद्यालय में उसके सहपाठियों से पता करें या अध्यापकों से कारण जानने का प्रयास करें। यदि आपको लगे कि बच्चा वास्तव में मानसिक तनाव का शिकार है तो बिना समय गँवाए उसे किसी योग्य मनोचिकित्सक के पास ले जाएँ जहाँ उसका उपचार किया जा सके। अभिभावकों द्वारा थोड़ी सी सावधानी बच्चों को तनावपूर्ण जीवन से दूर रख सकती है। ❑

(टी.जी.टी. नॉन मेडिकल, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रुगडा, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश)

Should we pause to have patience of painfully watching such cartoons that make our children attached to them much, we shall realise one thing; that from watching them, we end up understanding nothing. There shall be light, sound and fury, but no content. Some of the European movies used to be nicknamed as 'technical terrorism' in our younger days: as on post-mortem analysis of the movie, we shall remember only light, sound and fury – ending up in utter desperation of confusion.

Creation of Agitated Minds

❑ Dr. TS Girishkumar

In the lives of most urban chil dren, cartoons play a very important role. In perhaps all houses, these cartoons are taken and treated as 'innocent' entertainments for the children, and at times parents are relieved that children stay indoors instead of going around with neighbourhood children. Indeed, we have taken it for granted that cartoons are innocent as well as harmless. But then, some serious aspect to these cartoons need be looked at and understood.

What are the cartoons children usually watch?

Most people understand what cartoons are, but cartoons in our understanding are pictures, like Chanda mama etc. some brilliant cartoonists like the late AnantPai had used the medium of cartoons to create awareness of Sanskara in children, he brought out cartoons from Bharatiya Sanskriti and was immensely successful in creating a generation who became meaningful. We also have ideas of cartoons like inspector Garud, some detective, or investigative stories and so on.

In present times, some of us must also have tried to understand the cartoons children are addicted to, and I am sure that none of us must ever have understood the cartoons our children get addicted to, to the point of helplessness. The more we try to understand these cartoons, the more we become confused and confused to the point of desperation. These cartoons are totally different from the concept of cartoons available to most of us.

To make the point more explicit, let us try and understand the kind of music influencing the youth.

Music

To think about music, what comes to the mind of most people shall be melody. In Bharat in most aspects, of past as well as for present, music means melody. But then, look at the kind of phenomena those get passed as music in present times!

European music of the old used to go by the principle of harmony, they had great compositions, and they still do. They also have country songs, some western songs, which were all combination of both melody and harmony.

However, things changed soon enough. There came music which most of us don't understand, leave alone enjoying them. They ever remain enigmatic to us, we don't know what is that huge sound or noise. The point is, I should only be making a very subjective analysis, I would be speaking only about what I feel with the feeling that many others also feel the same.

Some analysis

I happen to meet and interact with a former Professor of Psychology of the University of Pennsylvania. This professor, who used to be with the Hindu movements in the US gave me some of his understandings regarding both music and cartoons.

Just look at the structure of these music and cartoons, everything is thrown out so fast and so unclear, that no one is able to catch them, follow them and comprehend them. This creates brilliant confusions and chaos instantly.

The professor says that there are deliberate attempts to create troubled minds, and agitated minds. Who is behind this effort to create agitated and troubled minds the professor could not speculate, he simply spoke of the corporates, and said that the consumers with troubled and agitated minds could easily be led to buying their products.

But then, things are much more than this surface level story. Many would want confused and troubled minds for the youth, something akin to the computer experts creating viruses to destroy people's data in someone's computers. On the one hand we understand that there are interest groups that would want to infiltrate into other nation's (friendly and enemy alike) confidential information with the thoughts that such information could be of use to them. But what about the other kinds of viruses created by 'special' minded people, those simply put common users into trouble? These people gain or get nothing out of their 'laborious' struggle, but it still goes on.

Thus, there are people creating viruses for computers – we don't know for what to be precise – there are people who sneak into information of others – we don't know what they get – there are people who break into other nation's information – may be they think that some other nation could use them –and exactly in the same manner, there are people creating such music which can agitate young minds, and similar people also create such cartoons those can agitate and maintain confused as well as disturbed minds. And why are these things getting done remains a question for deep reflections.

In Bharat

Let us take a break from these European phenomena and look around ourselves, in our very Nation and Sanskriti. Let us see what had been the efforts of our Rishis and Acharyas in these directions. In Gujarat, when someone asks 'how are you', the usual answer shall be 'Shanti'. I am sure that this shall ring a bell; the general and common attitude of Bharatiya Sanskriti is to aspire for shanti to all, the entire cosmos as a matter of fact. This is a phenomenon known to all, we all know how our Vedas and other knowledge texts used to aspire peace for the entire cosmos: and the examples and instances are in such abundance and is known to all.

At every step, Bharatiya Sanskriti is aspiring for Shanti, peace, and co-existence of the entire cosmos in perfect balance of equilibrium. Why our ancestors had been doing these? For an answer, let us recall the Mandan Mishra – Shankaracharya episode. During their Tarka Samvada, they both were wearing garlands of fresh flowers and in due course of time, Mandan Mishra's garland started fading, where as Shankaracharya's garland remained fresh. Shankara became victorious, from the simple point that he remained cool and not agitated. He was neither agitated nor restless as he knew for sure of what he knows and thinks. In one word, the cool mind comprehends better, can comprehend most, and cannot be misled or confused. Cool and steady mind is the first requirement towards confidence, personality as well as steadfastness. Such minds can make the world a much better place undoubtedly and we have history in front of us of such people who made the world a much better place. Bhagwan Buddha is only one among many.

In Bharat, wherever the Bharatiya Sanskriti is more active, the society is more peaceful. One can experience this right from the kind of traffic on the roads to the shopping malls. Where the influence of Bharatiya - Vedic Sanskriti is less, we can see agitated minds, agitated society, violent society that take to the street for trifles and so on. The Bharatiya societies where influence of communism is still on are examples to this.

Cartoons and children

Should we pause to have patience of painfully watching such cartoons that make our children attached to them much, we shall realise one thing; that from watching them, we end up understanding nothing. There shall be light, sound and fury, but no content. Some of the European movies used to be nicknamed as 'technical terrorism' in our younger days: as on post-mortem analysis of the movie, we shall remember only light, sound and fury – ending up in utter desperation of confusion.

It is always the case that 'Negatives' are much more powerful than what is affirmative. Negatives catch quick and rapid, leaving hardly any room to the victim to ponder and react. It is a spontaneous temporary madness, but once in it, it shall take harder and long efforts to get rid of it. The power of the negative is unimaginably strong.

Watch the children watching cartoons. Are they happy or are they agitated? Are they contented or are they confused? Are they clear about the things they understand? Let us watch and learn what they are getting at.

We don't know much about what all things are behind these apparently innocent cartoons, music and movies or modern arts. But we should have the honesty to say that we don't understand, when we don't understand. When a celebrated modern painting is shown to us, and when we understand nothing from it, we should have both integrity and honesty to openly say that we don't understand anything from this. We should know that there are many 'intellectuals' who both thrive and celebrate upon the ignorance of others.

The only counter arrangement for these wilful generation of agitated minds shall be Vedic Dharma and the epistemology of coexistence. Where the mind becomes agitated, we have Upanishadic Shanti Mantras to counter, where anger gets implanted, we have the Vedic Universality. We are well equipped to counter and destroy such invasions into human existence, the only thing is that we have to be more aware and conscious of ourselves. ❑

(Professor of Philosophy, The Maharaja Sayajirao University of Baroda)

AJKLTF Organised a Meeting in Doda (J.K.)

AJKLTF unit Doda convened a meeting under the able leadership of its District President Mohan Singh and District secretary Sanjay Sharma at district headquarter Doda .The meeting was organised with an aim to strengthen the organisation upto grass root level.The representatives from each zone of district participated in the meeting. The programme was presided over by Dev raj Thakur (State President) All Jammu Kashmir Ladkah Teachers Faderation and Rattan chand sharma (State Gen Ssecretary). Neeraj sharma state secretary and incharge of district Doda highlighted the working style of the organisation in J&K state. Finally, the Zonal convenors were nominated as Naresh Rathore and Vikas sharma for zone Gundna, Sandeep Bandral for zone Bhagwah, Rajesh singh for zone Bhalla, Kehar Singh and Rashpal for zone Thathri, shesh Ram and Surinder Singh for Zone Ghat, Surjeet Kumar for Assar zone and Rajesh parihar for Doda.

Those who spoke on the occasion include Koshal SharmaVP, Balwant Singh VP, Rakeshwar Singh, Jugal Kishore, Kahar Singh, Sandeep Bandral, Narender Singh,Ved Raj Lecturer, Rajesh singh Lecturer, Panna Lal, Vikas Kant, Prithvi Singh, Shesh Ram, Hushyar Singh, Sat Lal and Chander ji from Thathri.

The state President along with General Secretary convened another meeting of teachers at district headquarter Kishtwar in evening in which district body was announced for district Kishtwar.The next day the general secretary Sh Rattan Chand visited Ramban district where a grand programme was organised by the district body of AJKLTF. It is believed that these serial programmes can strengthen the organisation in whole chenab valley.

The thinking is changing very fast, its more concentrated on me and my core family rather than joint family. Social security which was assured in older times has become a remote possibility. Nobody wants to share any of his/her belongings may it be books/ clothes or otherwise. Remote chances of getting one's own or new one have inculcated pressure on the parents to provide the best option to their own child. Expectations both from parents and children in turn have put a negative effect on both. Both feel under pressure to show what they are doing is just the best, resulting undesired trends in the society.

Confused Children

❑ **Prof. A. K. Gupta**

The State of Indian Chil dren can be considered only confused in the present day time. The Indian Children feel only confused one in the present time frame where there are so many changes occurring in the society. From Joint family to Core family concept. In a way the children today are more privileged seeking what they want or even desire. The parents feel their duty to fulfill all possible or even impossible desires of their wards. The best way to make children good is to make them happy. The relations are getting changed. All relations are converted in to Aunty and Uncle rather than having different names e.g. Chachi ji, Tai ji, Bua ji, leave aside Nanis, Dadis to name a few. Jobs are crunching to only few cities. Like Pune they have different environment in certain colonies where the children are brought up in a totally different environment we can name it going for day dreams or diva swapna. In a way they remain away from realities of life. They remain away from soil, getting all games based on digital India.

Our country has witnessed fast technological advancement mainly starting in 1980s, with TV revolution during Asian Games, till date, The society has seen so many technological changes e.g. TV, Computer, Mobiles to name a few. It has become very difficult for a common person to keep pace with these. They normally prefer to involve their children to learn these fast changing technological changes. As a result of this children are facing competition right from their childhood their exposure to more and more depression. Now compare upbringing of two children one urban environment and the other in rural environment.

Right from different fields e.g. education/ health/ financial /Family traditions/ Games one plays/ Clothing one wears/ brand

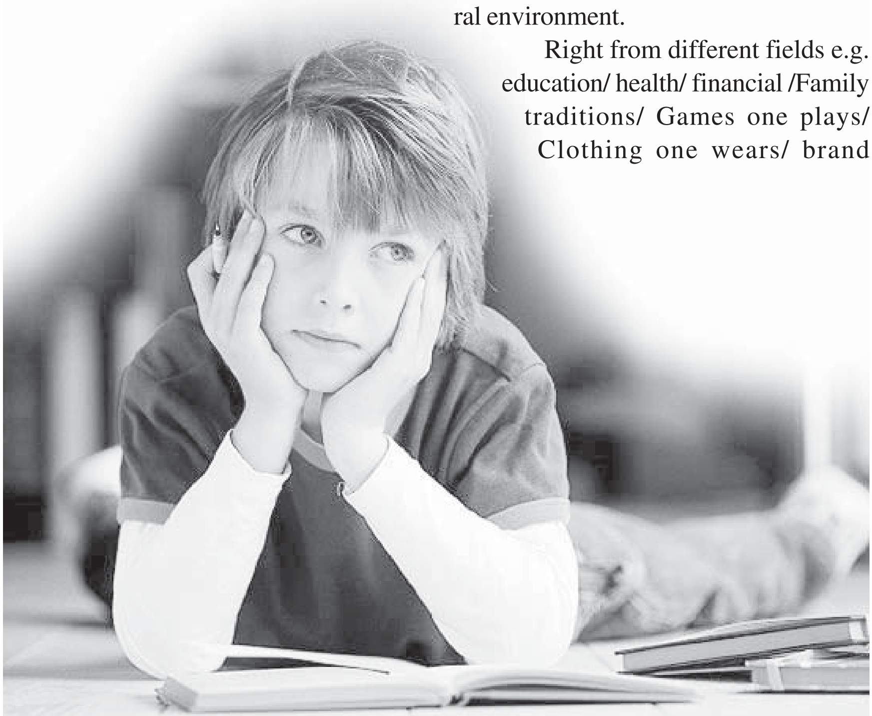

names/ market forces etc. Now compare childhood of their parents with theirs and you will find the difference. Progress or so called forwardness to that as backwardness. The changes seen in the society are inevitable if you see some of the points mentioned above. We witness more and more instability in family life: Shorter married life leading to all this and sufferer are children in the changing scenario. The life style which will survive depends on parivaar probodhan. The Deepawali gives an opportunity to come across many examples: One such case was where recently a girl was married to a boy. Both the families are converted one come from backward or so called Dalita Varga and from minority community i.e. Christian background. Now this has become non gulpable to accept the identity of the other one. In a meeting at some place a question was asked from present ones about accepting a girl from a minority community who has courage to accept the proposal of Hindu Groom. Such a case may be difficult to tackle, because of many reasons or aspects. I do not love him because he is good, but because he is my little Child.

Now consider so called case of a child brought in what is named as day dream upbringing, remains aloof from practical life. One can shiver only just by thinking of their future, or the concept of few cities which are offering jobs to many. this is leading multi fold expansion of a city generating many other problems simultaneously. The financial gaps one can foresee, its affect on otherwise normal life of a child. The parents feel emotionally blackmailed on the two pre texts i.e. one is education and the other one is health related. The attempt to get best out of what is available in the town remains the only objective of each parent.

The thinking is changing very fast, its more concentrated on me and my core family rather than joint family. Social security which was assured in older times has become a remote possibility. Nobody wants to share any of his/her belongings may it be books/ clothes or otherwise. Remote chances of getting one's own or new one have inculcated pressure on the parents to provide the best option to their own child. Expectations both from parents and children in turn have put a negative effect on both. Both feel under pressure to show what they are doing is just the best, resulting undesired trends in the society.

Everybody is expected to excel in his/her field which is next to impossible: leading to rise in corruption, malpractices and what need not be mentioned here on one hand and depression and other social problems on the other side. Merely singing good slogans e.g. Save Girl Child and Educate them won't solve the problem. This was narrated by a young female child named Shivani Pareek in a poem sung by her. Need of the hour is do just result oriented work. In the same programme two words were coined, one is for Sewa or Service to mankind and other one is Prem or Loving each other.

By adopting Ahimsa and Tyag one can win over any trouble which comes across. Both are missing in the present day society where everybody wants results in shortest possible time by hook or crook. All the evils seen around us are the result of these tendencies. In present scenario where Government system is Democratic every work is based on populous programmes e.g. Mid day Meals/ Tika karan making the child happy and in turn solidifying their own vote bank. The conditions lead us to point of undesirable social games e.g. blue whale. Need of the hour is to streamline the things before they capture us by doing wrong things to our family or in turn larger families or so called society/ Nation.

The dangers are well in the offing. Everybody is living in his/ her own dream world or so to say impracticable world. If the trend continues it has become difficult to gulp the outcome of this undesired result, Which may be considered undesirable for humankind. The childhood shows the man, as the morning shows the day. It is only good education which can save us. The education should be planned and executed in manner to suit the development may it be physical, emotional or otherwise. Management is vital term known as Lord Krishna/ Lord Shiv/ Lord Budhdha etc. The terms should have proper meaning and convey how to achieve even if it is marketing gimmick. We can talk about any term e.g. parivar probodhan, where one can cite numerous examples to consider and find rightful solution. The western world is

looking towards us as we are trying to follow them i.e. western world in the name of so called progress. The main thrust lies in the success which comes from family if it is supportive and keep the human being progressive or otherwise.

Technological changes are very fast To keep pace with these is very difficult. The whole attempt is to focus the society on getting work for every pair of hands & utilising time and energy of the young buddies, which otherwise can create problems by setting examples of unlawful activities leading the society to a path of unrest by creating problems of law and order. The present scheme of the Government of kaushal vikas, Make in India, Swatchcha Bharat Mission etc are nothing but targetting our society to follow the same. Some group may think moving backward with present time frame. But one should think whether it is right to move without any direction in the name of progress. We have to keep our values with which we living for thousand years. The world is looking towards us for providing the right solution. Merely allowing us to move freely does not lead us anywhere. Here lies the solution that we should move on the path of success keeping values with this. Do not move in way ward manner without any direction, leaving our family life in danger. One should also think about the larger interest of the society and in turn about the Nation. Keeping pace with changes in the society with advancement in technology. This reminds me of another sentence or phrase "Chinta chhodo mast raho" because everything is destined, bound to happen or not. ❑

(Professor, Structural Engineering Department, JNU, Jodhpur)

प्रारंभिक शिक्षा : एक दृष्टि

❑ **डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल**

राष्ट्र की शैक्षिक उन्नति ही उसकी सर्वांगीण प्रगति का आधार होती है और यह शैक्षिक उन्नति वहाँ की प्रारंभिक शिक्षा के स्तर से निर्धारित होती है। सार्वजनीन तथा एक सी स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था देश में उच्च शिक्षा एवं मौलिक प्रतिभा के विकास का पथ प्रशस्त करती है। स्पष्ट है कि लड़खड़ाती हुई अव्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा विकास अवरुद्ध करेगी और देशवासियों को गरीबी तथा हर प्रकार अंधकार से युक्त जीवन जीने को विवश करेगी। दु:ख की बात है कि हमारे देश में अभी तक भी शिक्षा समुचित सरकारी सहयोग के अभाव में पटरी पर नहीं आ सकी है। हमारा सरकारी तंत्र इससे उत्पन्न समस्या की गंभीरता की उपेक्षा करता ही प्रतीत होता है।

हमारी प्रारंभिक शिक्षा पर एक विहंगम दृष्टि नितांत निराशाजनक स्थिति उजागर करती है। ग्लोबल मॉनिटरिंग रपट 2014 के अनुसार भारत में निरक्षरों की विशाल संख्या है, लगभग 29 करोड़। यही नहीं, 2015 की ASER रपट (Annual Status of Education Report) के अनुसार पाँचवीं कक्षा के आधे छात्र केवल कक्षा दो की पुस्तक पढ़ पाते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो 8वीं के 44 प्रतिशत विद्यार्थी गुणा भाग भी ठीक तरह से नहीं कर पाते और अंग्रेजी के समुचित ज्ञान की भी स्थिति दयनीय ही कही जा सकती है। जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, देश के 3620 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में श्यामपट्ट तक नहीं है।

स्थिति कितनी चिंताजनक है, इसको जानने के लिये आइये उत्तरी भारत के दो राज्यों, हरियाणा और बिहार पर दृष्टि डालते हैं। तीन दिसंबर 2017 की 'अमर उजाला' की रपट के अनुसार हरियाणा में इस समय आठ सौ सरकारी विद्यालयों में न तो हेडमास्टर हैं और न ही मिडिल हेडमास्टर। बहुसंख्य विद्यालयों में गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए एक ही शिक्षक है। परिणामस्वरूप, व्यवस्था का बुरा हाल है। स्वयं हरियाणा सरकार के विजन डाक्यूमेंट – 2030 के अनुसार पहली से आठवीं तक के 13 लाख में से 5 लाख विद्यार्थी तो सौ तक की गिनती भी नहीं जानते। बिहार का हाल तो और भी बुरा है। अंग्रेजी पत्र 'द हिंदू' की 14.06.2017 की रपट के अनुसार सरकारी हाई स्कूलों के 275 लाख विद्यार्थियों पर मात्र पाँच लाख अध्यापक हैं, अर्थात् प्रति 55 पर मात्र एक। इनमें से भी प्रतिदिन लगभग 29 प्रतिशत काम पर नहीं आते। शिक्षण कक्ष इतने कम हैं कि तुरंत कम से कम 60000 नये कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है। रपट के अनुसार बिहार की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था रसातल को पहुँच रही है। स्पष्ट है

प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था प्रगतिशील आधुनिक राष्ट्र का मूलाधार है। इसकी उपेक्षा आत्मघाती सिद्ध होगी। बहुसंख्य भारतीय अपने बच्चों को नगरों के बड़े-बड़े अत्यंत खर्चीले निजी विद्यालयों में भेजने में असमर्थ हैं। अत: सरकारी स्कूलों के स्तर पर ध्यान देना ही होगा अन्यथा देश की प्रतिभा पूँजी का एक बड़ा भाग सुप्त पड़ा रह जायेगा और यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इन विद्यालयों की दशा सुधारना, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पर्याप्त ध्यान, उचित संख्या में योग्य शिक्षकों की बिना किसी सिफारिश अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप के नियुक्ति तथा संतोषजनक बजटीय प्रावधान आदि राज्य सरकारों की प्राथमिकतायें होनी चाहिये। पाठ्यक्रमों तथा पढ़ाई के तौर तरीकों में सुधार भी अत्यावश्यक है। नियमित शिक्षक - अभिभावक संवाद एक अच्छी व्यवस्था को धार देने का कार्य करता है। अत: इसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

कि इन विद्यालयों में न तो पर्याप्त मूलभूत सुविधायें हैं और न ही आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर। शिक्षकों का तो भयंकर अभाव है ही, जो हैं भी उनमें सक्षम लोगों की संख्या अत्यंत कम है। यही नहीं वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक न रहने के कारण बहुधा ही अनुपस्थित भी रहते हैं। यह सब निश्चित रूप से घोर सरकारी उपेक्षा की ओर इंगित करता है। इन्हीं सब कारणों से आर्थिक रूप से समर्थ विद्यार्थियों का हुजूम कोचिंग की ओर भागता है और कोचिंग का धंधा अनावश्यक रूप से फलता फूलता है।

इस घटाटोप अंधकार में दिल्ली में प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है। यहाँ इस वर्ष 25 प्रतिशत बजट शिक्षा (सब प्रकार की) के लिये निर्धारित है और अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति एवं शिक्षण कक्षों के निर्माण पर पूरा ध्यान है (देखें The Hindu 8.10.17 तथा इंडिया टुडे 14.6.17)। यह सब स्वागत योग्य एवं अनुकरणीय है।

इधर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नये उत्साहवर्धक निर्णय हुये हैं। उन पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। पहला तो आठवीं तक बिना अनुत्तीर्ण किये अगली कक्षा में सबको प्रोन्नत करने की नीति का समापन। वस्तुत: इस नीति ने प्रारंभिक शिक्षा के स्तर का कबाड़ा कर दिया था क्योंकि विद्यार्थियों ने पढ़ने की चिंता छोड़ दी थी। दूसरा है CBSE का निर्णय कि त्रिभाषा फार्मूला से जर्मन, फ्रेंच चीनी (मैंडेरिन) आदि विदेशी भाषाओं की छुट्टी कर दी जाय। अभी तक विद्यार्थी मातृभाषा, अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा ले सकता था। अर्थात् अहिंदी राज्यों के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसा संभव नहीं है। उन्हें मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी पढ़नीं ही पड़ेगी। हिंदी राज्यों में भी अब उनके लिये एक अन्य भारतीय भाषा (बंगला, तमिल, असमिया, उड़िया आदि) का पठन-पाठन अनिवार्य होगा। CBSE के इस निर्णय से त्रिभाषा सूत्र की आत्मा सुरक्षित हो जायेगी और देश में एकात्मता की भी भावना सशक्त होगी।

प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था प्रगतिशील आधुनिक राष्ट्र का मूलाधार है। इसकी उपेक्षा आत्मघाती सिद्ध होगी। बहुसंख्य भारतीय अपने बच्चों को नगरों के बड़े-बड़े अत्यंत खर्चीले निजी विद्यालयों में भेजने में असमर्थ हैं। अत: सरकारी स्कूलों के स्तर पर ध्यान देना ही होगा अन्यथा देश की प्रतिभा पूँजी का एक बड़ा भाग सुप्त पड़ा रह जायेगा और यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इन विद्यालयों की दशा सुधारना, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पर्याप्त ध्यान, उचित संख्या में योग्य शिक्षकों की बिना किसी सिफारिश अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप के नियुक्ति तथा संतोषजनक बजटीय प्रावधान आदि राज्य सरकारों की प्राथमिकतायें होनी चाहिये। पाठ्यक्रमों तथा पढ़ाई के तौर तरीकों में सुधार भी अत्यावश्यक है। नियमित शिक्षक - अभिभावक संवाद एक अच्छी व्यवस्था को धार देने का कार्य करता है। अत: इसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

एक बात और, अंग्रेजी पर जोर बच्चों की प्रगति कुंठित करता है। ASER रपट इस ओर इंगित भी करती है। इसके कारण विद्यार्थी शिक्षा से या तो कतराने लगता है अथवा उसके प्रदर्शन में भारी गिरावट आती है। इसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी कैसे समाप्त की जाय, इस पर गहन चिंतन होना चाहिये। भविष्य के भारत में अंग्रेजी का स्थान केवल शेल्फ लैंग्वेज के रूप में रह सकता है, यह जितना शीघ्र समझ लिया जाय उतना ही हितकर होगा। ❑

(पूर्व अध्यक्ष-रसायन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)

यूं तो कानूनन स्त्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की पहल हुई है पर देश के अधिकांश परिवारों में इसका मौन विरोध है जिन बेटियों में अपने इस अधिकार के प्रति चेतनता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे दिये जाते हैं कि अपने आर्थिक अधिकार की सुरक्षा करने की अगर वे पहल करेंगी तो उन्हें अपने परिवार से सभी प्रकार के भावनात्मक संबंध खत्म करने होंगे। विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों में भी स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आई.एच.डी.एस. के ताजा आँकड़े बताते हैं कि 4.99 प्रतिशत युवतियाँ ही देश में, अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर पाती हैं। 73 प्रतिशत महिलाओं को इच्छा-अनिच्छा से उसी व्यक्ति से विवाह करना होता है जिसका चुनाव घर के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।

महिला समानता का संघर्ष

❑ **डॉ. ऋतु सारस्वत**

विश्व भर में संवेदनशील वर्ग का यह विश्वास है कि किसी भी समाज का अपरिहार्य अंग स्त्री और पुरुष समान रूप से है। परन्तु स्त्री संघर्ष का प्रथम अध्याय ही इसकी अस्वीकारोक्ति के साथ लिखा गया और यह कुतर्क स्थापित करने का भी प्रयास किया गया कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक भेद का उनमें विद्यमान भावनात्मक और बौद्धिक भेदों और उनकी शारीरिक क्षमताओं में पाये जाने वाले भेदों से घनिष्ठ संबंध है और इसी के चलते पुरुष को बलशाली और स्त्री को तथाकथित कमजोर माना गया यही जैविक भेद कहीं ना कहीं श्रम के लैंगिक विभाजन का आधार भी बना। परन्तु ना तो यह सर्वव्यापी सत्य है और ना ही इसकी पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर की जा सकती है। यह तथ्य कोरा मिथक है कि महिलाओं में जैविकी की दृष्टि से भारी और कठोर काम करने की क्षमता नहीं होती। दरअसल पुरुषों और स्त्रियों के मध्य व्याप्त असमानताएँ प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं, क्योंकि ऐसा कोई जैविक कारण परिलक्षित नहीं होता जिससे यह स्वीकार किया जाये कि सार्वजनिक शक्ति सम्पन्न पदों पर स्त्रियों की उपस्थिति कम होना प्राकृतिक है। स्त्रियों को पारिवारिक सम्पत्ति का 'छोटा सा ही हिस्सा' या कहना उचित होगा कि 'बिल्कुल नहीं', क्यों नहीं मिलता? क्या इस प्रश्न का उत्तर प्रकृति से मिल सकता है, कदापि नहीं। यद्यपि जिन समाजों में अपवादस्वरूप ऐसा होता है उनकी ओर से इस असमानता के विरोध में प्रबलतम तर्क दिए जाते हैं। यदि स्त्रियाँ वाकई जैविक रूप से परिवार का मुखिया बनने या फिर पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए अयोग्य थीं तो फिर मातृवंशीय समाज वर्षों से सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे? स्त्रियों की समानता अधिकार की सबसे पहले माँग अमेरिकी क्रांति के दौरान मर्सी वारेन और एबिगेल एडम्स के नेतृत्व में उठी। उन्होंने स्त्रियों के मताधिकार और सम्पत्ति के अधिकार सहित सामाजिक समानता की माँग करते हुए जॉर्ज वाशिंगटन और टॉमस जैफर्सन पर स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने

को संविधान में सम्मिलित करने के लिए दबाव डाला, परन्तु प्रभुत्वशाली वर्ग के विरोध के कारण यह संभव नहीं हुआ। अपने समानता के अधिकारों को लेकर संगठित नारी आंदोलन फ्रांसिसी क्रांति के दौरान शुरू हुए।

समानता के लिए स्त्रियों के संघर्ष के लक्ष्य को समर्पित पहली पत्रिका का प्रकाशन क्रांति के दौरान फ्रांस में ही शुरू हुआ, वहीं क्रान्तिकारी नारी क्लबों के रूप में स्त्रियों का पहला संगठन अस्तित्व में आया। जिसने सभी पक्षधर राजनीतिक संघर्षों में भागीदारिता निभाते हुए, माँग की, कि आजादी, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्त बिना किसी लिंगभेद के लागू किये जाने चाहिए। ओलिम्प द गाउजेस ने 'मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा' के मॉडल पर 'स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा' तैयार की। इस घोषणा पत्र में 'स्त्रियों पर पुरुषों के शासन' का विरोध किया गया। परन्तु ये सारे प्रयास पुरुष सत्तात्मक समाज ने दबा दिए। 1848 में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत सेनेका फाल्स, न्यूयार्क से हुई जहाँ नारी अधिकार कांग्रेस आयोजित करके नारी स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र जारी किया गया। यह आंदोलन पूरे यूरोप में फैल गया। ब्रिटेन में 1860 के दशक में चुनावी सुधारों के दौर में नारी मताधिकार की माँग उठी।

विश्व भर के महिला संगठनों ने मैक्सिको शहर, कोपेनहेगन, नैरोबी तथा बीजिंग में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों में अपने विकास एजेंडा में दृढ़ता से समानता के मुद्दों को उठाया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग गठित किया। फलस्वरूप विश्व के अधिकांश देश महिला समानता के मुद्दे को लेकर जाग्रत हो रहे थे। विभिन्न मंचों से लेकर किताबों और अखबारों में इस विषय को उठाया जा रहा था। 1972 में मेरी बोल्स्टन क्राफ्ट की पुस्तक 'ए विन्डिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन' में 'स्वतंत्रता-समानता-भातृत्व' के सिद्धान्त को स्त्री समुदाय पर लागू करने की माँग की गई। मेरी ने लिखा, 'कोई भी समतावादी सामाजिक दर्शन तब तक वास्तविक अर्थों में समतावादी नहीं हो सकता जब तक कि वह स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर देने की बात नहीं करता।' वर्ष 1979 में महिला समानता के प्रयास की ओर एक और सुदृढ़ कदम था जब विश्व के अधिकांश देशों ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी समझौते को औपचारिक रूप से अपना लिया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो तमाम सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ कुछ ऐसी लेखिकाओं ने अपनी कलम के माध्यम से, महिला समानता के प्रश्न को उठाया जो किसी उच्च पद पर आसीन नहीं थी। उल्लेखनीय है कि 1882 में 'स्त्री पुरुष तुलना' नामक एक पुस्तक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे ने लिखी, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदण्डों का विरोध किया। विज्ञान को पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र मानने वाली समाज की सोच को तब आघात लगा जब 1908 में भारत में बेगम रोकेया द्वारा 'सुल्तानाज ड्रीम' नामक पुस्तक लिखी गई।

'सुल्तानाज ड्रीम' शीर्षक नामक यह अद्भुत कहानी संभवत: भारत में विज्ञान कथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्वभर में कहीं भी किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण। बेगम रोकेया की चर्चा यहाँ इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी तक निरंतर महिलाओं की बौद्धिकता को शंका से

देखा जा रहा था। 1963 तक अधिकतर अमेरिकन न तो यह विश्वास करते थे कि लैंगिक समानता संभव है और न ही वे इसकी आवश्यकता समझते हैं। यहाँ तक कि स्वयं वहाँ की महिलाएँ ये विश्वास करती थीं कि घर के महत्त्वपूर्ण निर्णय घर के पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाने चाहिए। 1962 में मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में दो तिहाई महिलाओं ने ये विचार रखे थे। 1977 तक दो तिहाई अमेरिकन यह विश्वास करते थे कि पुरुष को बाहर का कार्य देखना चाहिए और स्त्रियों को घरेलू जिम्मेदारी। परन्तु स्त्रियों की सामाजिक और लैंगिक समानता के स्वरों ने जोर पकड़ा और 1994 तक दो तिहाई अमेरिकन ने श्रम विभाजन के लैंगिक आधार का विरोध करना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2015 के बाद के विकास एजेंडे के पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक व्यापक अभियान शुरू किया। इस अभियान का संदेश है- दुनिया अपने विकास लक्ष्यों को तब तक 100 प्रतिशत हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इसके 50 प्रतिशत लोगों - अर्थात् महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता है।'' संयुक्त राष्ट्र का अभियान कितनी सफलता प्राप्त करेगा इसका उत्तर भविष्य में छुपा है । आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कई देशों की स्थिति, लैंगिक समानता के संदर्भ में भारत से कहीं बहुत अच्छी है। जैसे अफ्रीका में रवांडा का स्थान लैंगिक समानता में सातवाँ है क्योंकि यहाँ लगभग उतनी ही महिलाएँ नौकरी करती हैं, जितने पुरुष। इसी कारण यह पूरे अफ्रीका में सबसे कम लैंगिक असमानता वाला देश है। एशिया में लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर नौवीं रैंकिंग फिलिपींस की है और इसका सबसे मुख्य कारण है, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक ही काम के लिए समान वेतनमान का होना। लैंगिक समानता के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब है। विश्व आर्थिक फोरम में लैंगिक समानता के इस अध्ययन की 2015 की रिपोर्ट बताती है कि 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर है।

भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जन्म लेना ही है। कोख में खत्म होने से अगर वह बच भी जाये तो विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि बेटियों को बेटों की अपेक्षाकृत कम भोजन दिया जाता है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, शिक्षा के स्तर पर बेटे और बेटियों के बीच अंतर साफ देख जा सकता है। बेटों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दी जाती हैं और बेटियों से बिना किसी शिकायत के जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है। बेटियों को उन विषयों को चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है या यह कहना उचित होगा कि दबाव डाला जाता है जिससे विवाह के पश्चात् उनकी घरेलू जिम्मेदारियों बाधित न हों। यूं तो भारतीय संविधान ने, महिलाओं को समानता के तमाम अधिकार दिए हैं पर सत्य तो यह है कि उन्हें हर स्तर पर अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अविभाजित हिन्दू परिवार में संपत्ति के बँटवारे या विक्रय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को होता है। यूं तो कानूनन स्त्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की पहल हुई है पर देश के अधिकांश परिवारों में इसका मौन विरोध है जिन बेटियों में अपने इस अधिकार के प्रति चेतनता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे दिये जाते हैं कि अपने आर्थिक अधिकार की सुरक्षा करने की अगर वे पहल करेंगी तो उन्हें अपने परिवार से सभी प्रकार के भावनात्मक संबंध खत्म करने होंगे। विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों में भी स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आई.एच.डी.एस. के ताजा आँकड़े बताते हैं कि 4.99 प्रतिशत युवतियाँ ही देश में, अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर पाती हैं। 73 प्रतिशत महिलाओं को इच्छा-अनिच्छा से उसी व्यक्ति से विवाह करना होता है जिसका चुनाव घर के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।

आर्थिक जिम्मेदारियों को बराबर बाँटने वाली भारतीय महिलाएँ, अपने लिए स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के ताजा आँकड़े बताते हैं 79.8 प्रतिशत महिलाओं को अस्पताल जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। उनके जीवन का मोल नहीं है। जीवन के आखिरी पलों में भी उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आँकड़ों के अनुसार जीवन के आखिरी समय में 37.05 प्रतिशत महिलाएँ अस्पताल में भर्ती हुईं वहीं 62.05 प्रतिशत पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। सच तो यह है कि आज भी स्त्री को मानव स्वीकार करने से हम हिचकते हैं। उसकी पीड़ा, उसकी इच्छा किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। अपने लिए समानता के मार्ग पर चलने के लिए उसे हर रोज खुद ही कांटे निकालने होंगे। ❑

(व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर)

जन्मदिवस पर विशेष

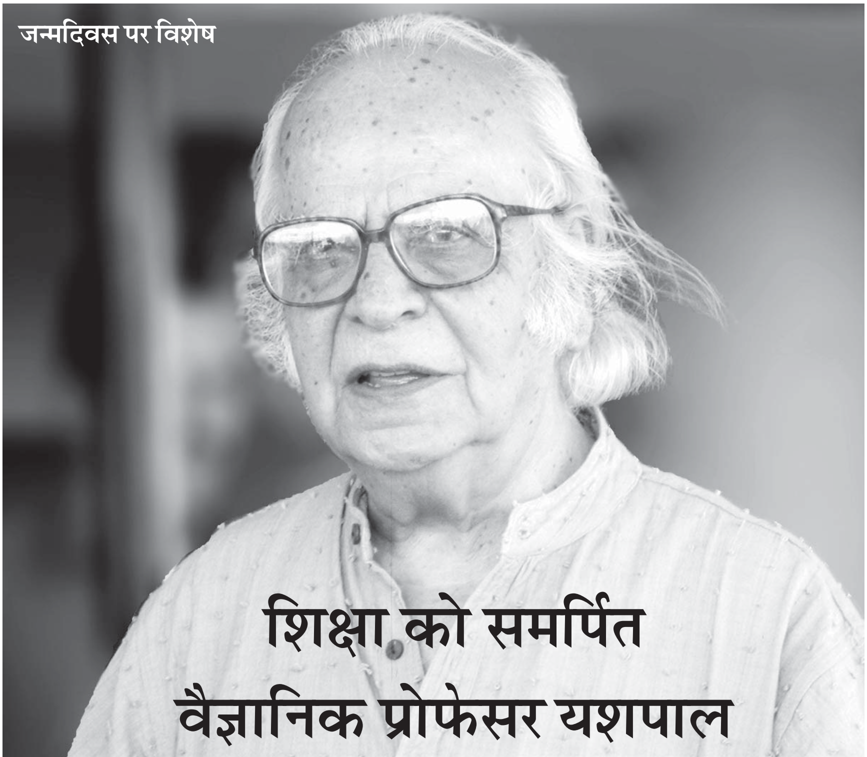

शिक्षा को समर्पित वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल

जन्म : 26 नवम्बर, 1926 – मृत्यु 24 जुलाई, 2017

वैज्ञानिक होते हुए भी यशपाल कपूर को शिक्षा क्षेत्र में अनेक जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। प्रोफेसर यशपाल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी जिम्मेदारियों को निभाया। शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर यशपाल का महत्त्वपूर्ण योगदान बच्चों के कन्धों से बस्ते का बोझ कम करने वाली रिपोर्ट है। प्रसिद्ध लेखक आर.के.नारायण ने भारतीय संसद में बच्चों के बस्ते के बढ़ते भार को बहुत ही मार्मिक भाव से उठाया था। नारायण के वक्तव्य की गूंज समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से संसद के बाहर भी बहुत समय तक सुनाई दी। सरकार ने बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय सुझाने हेतु प्रोफेसर यशपाल आयोग का गठन किया। आयोग ने 1993 में 'लर्निंग विदाउट बर्डन' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। बच्चों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता प्रकट करते हुए प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि- समझने कि बात यह है कि पुस्तकों का भार कन्धे से अधिक बच्चों के मन को दुःख पहुँचाता है।

❑ **विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी**

शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय सुझाने की जिम्मेदारी, लक्ष्मणस्वामी मुदालियर से लेकर कस्तूरीरगंन तक, वैज्ञानिकों को सौंपने की एक परम्परा देश में बन गई है। इस परम्परा को निभाने वालों में एक नाम अन्तरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल कपूर का भी है। 90 वर्ष की आयु में इसी वर्ष उनका निधन हो गया है। मूलरूप से वैज्ञानिक होने पर भी प्रोफेसर यशपाल को एक शिक्षा शास्त्री के नाते अधिक याद किया जा रहा है।

पंजाब के पुत्र

यशपाल कपूर का जन्म पंजाब प्रांत के झांग शहर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। यशपाल का लालन-पालन व प्रारम्भिक शिक्षा कैथल, हरियाणा में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से 1948 में भौतिक विज्ञान में अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त की। यशपाल कपूर 1958 में मैसेचुएट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी से भौतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनकी सोच थी कि चरखा-तकली का भारत में महत्त्व है, मगर देश की उन्नति विज्ञान, बांध, तकनीक और बिजली से ही होगी। यशपाल कपूर की सोच को तत्कालीन सरकार ने महत्त्व दिया और विज्ञान को प्रोत्साहित करना प्रारम्भ किया। भारत आज अन्तरिक्ष विज्ञान में एक विश्व शक्ति बन चुका है, इसकी नींव लगाने में प्रोफेसर यशपाल कपूर की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1972 में जब भारत सरकार ने पहली बार अंतरिक्ष विभाग का गठन किया था तो स्पेस एप्लिकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर की जिम्मेदारी प्रोफेसर यशपाल को सौंपी गई थी। कॉस्मिक किरणों पर उनके अध्ययन को विज्ञान में बड़े योगदान माना जाता है। विज्ञान संचार में प्रोफेसर यशपाल को बड़ा आनन्द आता था, इसके हर अवसर के लिए वे समय निकालते थे। टीवी

कार्यक्रम टर्निंग पॉइन्ट इसका अच्छा उदाहरण है। बच्चों के बीच जाने में उन्हें हर्ष होता था।

शैक्षिक सोच

प्रोफेसर यशपाल कक्षा तक सीमित रहने वाले शिक्षक और प्रयोगशाला तक सीमित रहने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। जब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। खगोलकी व खगोल भौतिकी के अन्तर विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र उनकी ही देन है। वैज्ञानिक होते हुए भी यशपाल कपूर को शिक्षा क्षेत्र में अनेक जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। प्रोफेसर यशपाल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी जिम्मेदारियों को निभाया। शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर यशपाल का महत्त्वपूर्ण योगदान बच्चों के कन्धों से बस्ते का बोझ कम करने वाली रिपोर्ट है। प्रसिद्ध लेखक आर.के.नारायण ने भारतीय संसद में बच्चों के बस्ते के बढ़ते भार को बहुत ही मार्मिक भाव से उठाया था। नारायण के वक्तव्य की गूंज समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से संसद के बाहर भी बहुत समय तक सुनाई दी। सरकार ने बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय सुझाने हेतु प्रोफेसर यशपाल आयोग का गठन किया। आयोग ने 1993 में 'लर्निंग विदाउट बर्डन' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। बच्चों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता प्रकट करते हुए प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि समझने कि बात यह है कि पुस्तकों का भार कन्धे से अधिक बच्चों के मन को दु:ख पहुँचाता है।

यशपाल समिति का मानना था कि शिक्षा की विषय वस्तु तय करते समय सूचना व ज्ञान में अन्तर किया जाना चाहिए। विश्व में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों को सूचनाओं के बोझ से लाद दिया जावे। समिति का मानना था कि किसी भी बात को समझने की एक उचित उम्र होती है, मगर हम उचित उम्र से पूर्व ही जटिल अवधारणाओं को बच्चों पर लादे जा रहे हैं। हमारा विज्ञान पाठ्यक्रम विकसित देशों से भी भारी है। उदाहरण देते हुए समिति ने कहा कि तत्वों के संयोजन से यौगिक बनने की अवधारणा हम कक्षा सात में पढ़ाने लगे हैं जबकि विकसित देशों में कक्षा 9 से पहले बच्चे से इस विषय में बात नहीं की जाती। छोटी कक्षाओं में ही हम विश्व भूगोल का ज्ञान कराने लगते हैं जबकि बाहर ऐसा नहीं है। भारी पाठ्यचर्या से लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। विज्ञान सिखाने के बजाय विज्ञान रटा रहे हैं। ऐसे विज्ञान शिक्षित लोग विज्ञान अनुसंधान नहीं कर सकते। पाठ्यचर्या निर्माण से जुड़कर प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षा को औपचारिकता के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया था। यशपाल, विज्ञान शिक्षा को भी यथार्थवादी बनाना चाहते थे। प्रोफेसर यशपाल पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका चाहते थे। वे इस बात के पक्ष में नहीं थे कि शिक्षक पाठ्यपुस्तकों के मात्र व्याख्याकार बन कर रह जावे। वे कहते थे कि कम पढ़ाया जावे पर पूरा पढ़ाया जावे इससे ज्ञान का उपयोग बच्चे कर सके। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की व्यर्थता के भी विरोधी थे।

मैकालयी व्यवस्था की पक्षपाती नौकरशाही का शिकंजा देश की शिक्षा पर इस प्रकार कसा है कि वह शिक्षा को उससे बाहर निकले के हर प्रयास को असफल कर देती है। शिक्षा में बदलाव के प्रोफेसर यशपाल के प्रयास भी असफल रहे। प्रोफेसर यशपाल ने इस स्थिति पर कई बार नाराजगी भी प्रकट की लेकिन व्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ, शिक्षा पर मैकालयी बंधन मजबूत होता जा रहा है।

सादगी के प्रतीक

प्रोफेसर यशपाल का घर हमेशा सबके लिए खुला रहता था। अगर घर में होते तो तुरंत मिलने का समय दे देते थे। उनके पास हर उम्र के लोग आते थे। वे सबका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते थे। व्यक्तिगत संवाद उन्हें पसंद था अन्तरिक्ष वैज्ञानिक होते हुए भी उन्हें मोबाइल फोन नापसंद था। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, प्रोफेसर यशपाल के निधन से दुखी हूँ। हमने एक ऐसे मेधावी वैज्ञानिक और शिक्षाविद् को खो दिया है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा में चिरस्थायी योगदान दिया है। मोदी ने लिखा, 'गुजरात में 2009 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सहित कई अवसरों पर प्रोफेसर यशपाल के साथ विस्तार से बातें की थी।'

सम्मान व पुरस्कार

विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए 1976 में वह पद्मभूषण से नवाजे गए थे और 2013 में पद्मविभूषण से भी सम्मानित किए गए। लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए अक्टूबर 2011 में उन्हें लाल बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृत्यु से पूर्व वे पाँच-छह वर्षों से कैंसर से पीड़ित रहे। उनकी बीमारी तो ठीक हो गई थी, लेकिन कीमोथैरेपी का दुष्प्रभाव उनके शरीर पर बना हुआ था। वे ठीक से चल-फिर नहीं पाते थे, फिर भी नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे थे। प्रो. यशपाल का पूरा जीवन संघर्ष, सीखने-सिखाने और कर्तव्यनिष्ठा का अच्छा उदाहरण है। देश उनकी कमी लंबे समय तक अनुभव करेगा। ❑

(बाल साहित्य एवं विज्ञान विषयक लेखक)

शैक्षिक चेतना के दूत : बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

समीक्षक
उमेश कुमार चौरसिया
सदस्य, राजस्थान साहित्य अकादमी

पुस्तक
बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर : शैक्षिक अवदान
लेखक – हनुमान सिंह राठौड़
प्रकाशक – अ.भा.राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
सहयोग राशि – ८० रु.

अध्यात्म और सांस्कृतिक वैभव की भूमि भारत में ऐसे अनेक युग प्रबोधकों, विचारकों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने तात्कालिक विषम परिस्थितियों और अभावों से जूझते हुए भी भारतीय समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाने हेतु जाग्रत करने के कर्त्तव्यपथ पर अडिग रहते हुए अपना बहुमूल्य जीवन समर्पित कर दिया। इन्हीं के कारण भारतीय ऐतिहासिक गौरव, संस्कार और संस्कृति को बचाये रखा जा सका है। ऐसे ही भारत के एक महान् सपूत, प्रखर विद्वान्, विधिवेत्ता, शिक्षाविद् एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय संविधान के जनक थे– बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही और तात्कालीन नीति निर्धारण एवं देशहित के अनेक कार्यों में उनके योगदान को आज भी आदर के साथ याद किया जाता है।

समाज को अस्पृश्यता, छूआछूत, भेदभाव और शोषण के कलंक से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब ने दलितों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का एकमात्र मार्ग शिक्षा को बताया। उन्होंने 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' का ध्येय वाक्य अवश्य उद्घोषित किया, किन्तु उनका सर्वाधिक जोर दलित और पिछड़े वर्ग को शिक्षा के द्वारा उन्नति की ओर बढ़ाने पर ही रहा। इसीलिए वे युगदृष्टा कहलाये। डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व उल्लेखनीय योगदान पर तथ्यात्मक विशद् अध्ययन को समेटने का ही सार्थक कार्य साँस्कृतिक चिंतक और शिक्षाविद् श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने अपनी सद्य प्रकाशित कृति 'बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर: शैक्षिक अवदान' में किया है।

अधिकांशत: यही अवधारणा रही है कि डॉ. अम्बेडकर दलित संघर्ष के दूत रहे हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। वास्तव में वे शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने न केवल स्वयं को शैक्षिक दृष्टि से सक्षम बनाया वरन् जीवन भर सभी पिछड़े वर्ग के साथियों को शिक्षित होने की प्रेरणा देते रहे। सामाजिक समता पर भी वे कहते हैं –'लोग चाहे कितने भी असमान हों, सभी को तब तक समान माना जाना चाहिए, जब तक कि वे पढ़ लिखकर अधिकारों को हासिल करने के लायक नहीं हो जाते। स्वयं बाबा साहब ने एमए, एमएससी, पीएच.डी., डीलिट, एलएलडी, बारएट लॉ इत्यादि कई उच्च शैक्षिक उपाधियाँ प्राप्त की थी। उन्हें अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने अपनी सर्वाधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची में प्रथम माना था। प्रस्तुत पुस्तक में उनकी शिक्षण यात्रा और दलित समाज की शिक्षा के लिए उनके द्वारा किये गए अथक प्रयत्नों को प्रस्तुत किया गया है। अनेक ऐसे तथ्य दिये गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि उन्होंने सदैव ही शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उन्नति के लक्ष्य को प्रतिस्थापित किया। महात्मा गाँधी के साथ उनकी तार्किक चर्चा सहित कई रोचक एवं प्रेरक प्रसंगों को भी बखूबी दर्शाया गया है। समकालीन समाज प्रबोधक ज्योतिबा फूले, बाल शास्त्री जाम्भेकर, राजा राममोहन राय, चिपलूणकर, तिलक आदि के कृतित्व पर भी प्रकाश डाला गया है। मुम्बई में बाबा साहब द्वारा स्थापित जन शिक्षा समिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के संबंध में डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन को भी पर्याप्त स्थान देते हुए नैतिक शिक्षा, विद्या और कर्म, धर्माधारित शिक्षण, संस्कृत शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर उनके कालजयी शैक्षिक विचार भी दिये गए हैं। संभवत: यह पहली ऐसी पुस्तक है जिसका संक्षिप्त कलेवर होने के बावजूद भी इसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा से संबंधित उस महत्त्वपूर्ण पक्ष को तथ्यात्मकता, व्यापकता और रोचकता के साथ स्पष्ट किया गया है जिस पर हमारा ध्यान कम ही गया होगा। पुस्तक न केवल पठनीय है वरन् बौद्धिक चिन्तन के लिए कई सार्थक पहलू सामने लाती है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

महिला संवर्ग की कार्यसमिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं साधारण सभा

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति : महिला संवर्ग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठक दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2017 तक अमरावती (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुई, जिसमें 118 सदस्यों, पदाधिकारियों ने सहभाग किया।

27 अक्टूबर 2017 को महिला संवर्ग की कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया गया एवं उनके समाधान के लिए सुझाव दिये गये। कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों की स्थिति का एक सर्वेक्षण महिला शिक्षकों द्वारा सम्पूर्ण देश में कराने का निर्णय लिया, जिसमें दस हजार महिला शिक्षकों से दो प्रकार की प्रश्नावलियों को व्यक्तिश: पूर्ण कराया जायेगा और केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त, भरी हुई प्रश्नावलियों का विश्लेषण कर महिलाओं की स्थिति की गहनता से जानकारी प्राप्त की जायेगी और निष्कर्षों को सरकार के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए सौंपा जायेगा।

28 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार, प्रवीणभाऊ पोटे ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को सुलभ हो इसके लिए महासंघ पहल करे। शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देने का काम महासंघ कर सकता है। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान करने का आह्वान किया।

17 राज्यों के राज्य स्तरीय संगठनों एवं विश्वविद्यालय स्तरीय संगठनों से प्राप्त वृत्त के अनुसार 356 जिलों में गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न हुए, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों ने सहभाग किया। इसी प्रकार सम्बद्ध संगठनों के द्वारा सम्पूर्ण देश में पौधा रोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत हजारों की संख्या में वृक्ष लगाये गये एवं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी शिक्षकों ने ली। 10 सितम्बर 2017 को बेंगलुरु में सम्पन्न 'शिक्षा भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान की समीक्षा की और सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की तथा इसे और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया। इसी प्रकार उच्च शिक्षा संवर्ग द्वारा शिक्षकों की जवाबदेही को केन्द्र मानकर 29 एवं 30 जुलाई 2017 को दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय संगोष्ठी की भी समीक्षा की। महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिसमें 24 एवं 25 फरवरी 2018 को दिल्ली में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' विषय पर आयोज्य अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की विस्तार से चर्चा की।

महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा महामंत्री के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया तथा तीन प्रस्तावों यथा-

1. शिक्षा में निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, 2. स्वदेशी बनाम चीनी तथा 3. शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये, को भी राष्ट्रीय साधारण सभा में प्रस्तुति के लिए अन्तिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अंकेक्षित खातों को स्वीकार किया गया। इस कार्यकारिणी में संगठनों के वित्तीय लेन-देनों में पारदर्शिता रहे एवं सम्पूर्ण हिसाब किताब पूर्ण रूप से वित्त सम्बन्धी प्रावधानों के अनुरूप हों, इसके लिए विशेष सत्र रखा गया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ चार्टेड एकाउन्टेन्ट श्री साँकल चन्द बागरेचा का विशेष उद्बोधन रहा। इसमें आपने संगठनों द्वारा रखे जाने हिसाब-किताब एवं उनके सन्दर्भ में वित्त सम्बन्धी नियमों की पालना करने की गहन जानकारी के साथ-साथ आज तक प्रावधानों में आये परिवर्तनों की जानकारी प्रदान की।

29 अक्टूबर, 2017 को महासंघ की राष्ट्रीय साधारण सभा की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें गत बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित अंकेक्षित आय-व्यय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत महामंत्री प्रतिवेदन पर चर्चा कर उनका अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकार किया गया।

स्वीकृत प्रस्ताव हैं- 1. **शिक्षा में निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन** - वर्तमान मूल्यांकन पद्धति की कमियों को दूर करते हुए ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था लाने पर जोर दिया गया, जिसमें शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर के साथ-साथ उसके व्यावहारिक ज्ञान, सह शैक्षणिक एवं क्रीड़ा गतिविधियों में उसकी भागीदारी के साथ-साथ उसके नैतिक मूल्यों एवं अभिरुचियों का भी निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन हो सके। 2. **स्वदेशी बनाम चीनी**- भारत दुनिया का एक सर्वसमर्थ देश बने, इसके लिए महासंघ ने अपने सभी शिक्षाविदों एवं कार्यकर्ताओं को चीन उत्पादों का बहिष्कार का एक दीर्घकालिक अभियान चलाने के आह्वान के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्वदेशी के प्रोत्साहन, सम्बर्द्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने की माँग की। 3. **शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये**- शिक्षा एवं शिक्षकों की लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ी सभी न्यायोचित समस्याओं के निराकरण अविलम्ब हो, इसकी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से माँग की।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रभु देशपाण्डे द्वारा महासंघ के संविधान के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराये और सर्वसम्मति से आगामी तीन वर्षों के लिए चुने गये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की।

समारोप सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख माननीय अनिरुद्ध देशपाण्डे ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन के विकास की गति में कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका है और श्रेष्ठता स्थापित करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही करना होगा। वर्तमान संघर्ष के लिए तकनीकी के गुलाम होने की मानसिकता, नकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षकों के सम्मान में कमी उत्तरदायी है, इसे समाप्त करने के लिए विस्तार एवं विकास पर विचार करना होगा तथा प्रवास करना होगा। महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में सभी कार्यकर्ताओं को परिवर्तन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
राष्ट्रीय साधारण सभा, अमरावती (महाराष्ट्र) में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. : 1

शिक्षा में निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि किसी भी समाज के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के प्रकटीकरण का स्रोत उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमताओं को परिष्कृत कर पूर्णता की ओर अग्रेसित करती है तथा राष्ट्र हेतु मानव संसाधन के कुशल निर्माण में आधारभूत भूमिका का निर्वहन करती है।

शिक्षा के विविध आयामों में आदर्श शिक्षक, श्रेष्ठ पाठ्यक्रम, रुचिपूर्ण शैक्षिक वातावरण व शिक्षण पद्धति के साथ-साथ निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धति भी शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग है। जब तक शिक्षार्थी सम्प्रेषित ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाया, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता, तब तक शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य में सफल नहीं कही जा सकती। समग्र एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली तभी संभव है, जब शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर के साथ-साथ उसके व्यावहारिक ज्ञान, सह शैक्षणिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी के साथ-साथ उसके नैतिक मूल्यों एवं अभिरुचियों का भी निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन संभव हो सके।

प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल पद्धति में शिक्षार्थी वर्षों गुरु के अनुशासित संरक्षण में ज्ञानार्जन करता था, जहाँ उसे गुरु के सतत् सानिध्यवश सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सहज प्राप्त होता था। गुरु विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन करने के बाद ही समाज में लौटने की आज्ञा देता था। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरी योग्य युवा तैयार करने हेतु एक विशेष शिक्षण व्यवस्था तथा समग्र मूल्यांकन के स्थान पर अल्पावधि की 'स्मरण शक्ति' के आधार पर मूल्यांकन पद्धति का विकास किया गया। यही 'रटंत' आधारित मूल्यांकन पद्धति कमोबेश आज भी प्रचलित है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण राष्ट्र में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण 'सर्वशिक्षा' का लक्ष्य प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। वित्तीय संसाधनों व भौतिक सुविधाओं की कमी के साथ-साथ योग्य शिक्षकों की कमी के कारण न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बल्कि निष्पक्ष व उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन ही दिवास्वप्न नजर आता है। प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति के अभाव में बच्चों के पढ़ने-लिखने की क्षमता व जोड़-बाकी तक की क्षमता में निरंतर गिरावट चिंता का विषय है। माध्यमिक स्तर पर, जहाँ विद्यार्थी अपने भावी जीवन के लक्ष्य को समझने-संजोने की क्षमता अर्जित कर सके, समाज के लिए नैतिक बल से समावृत सुपात्र नागरिक बन सके, इस हेतु छात्र का निरंतर व समग्र मूल्यांकन अपेक्षित है। इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक उसकी प्रतिभा को दिशा दे सकता है। किन्तु परम्परागत 'स्मृति परीक्षण' आधारित मूल्यांकन पद्धति में यह संभव नहीं, भले ही यह मूल्यांकन साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर ही क्यों न किया जा रहा हो! महसूस किया जा रहा है कि परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या व योग्य अनुभवी शिक्षकों की कमी के कारण निष्पक्ष मूल्यांकन मुश्किल होता जा रहा है। शीघ्र अथवा कम समय में परिणाम जारी करने की बाध्यता के भारी दबाव के कारण भी निष्पक्ष मूल्यांकन प्रभावित होता है। साथ ही अंक आधारित परीक्षा प्रणाली के कारण कोचिंग, पास बुक्स, गाइड्स व संगठित नकल के व्यवसाय पनपने लगे हैं। प्रतीत होता है कि ज्ञानार्जन के स्थान पर येन-केन-प्रकारेण कागजी डिग्री प्राप्त करना ही आज के विद्यार्थियों का लक्ष्य हो गया है, जो व्यवसाय के लिए पासपोर्ट साबित हों।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है, शिक्षा के सभी स्तरों पर तनाव रहित परीक्षा के साथ-साथ सतत् व समग्र मूल्यांकन लागू किया जाए, जिससे विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर, व्यावहारिक ज्ञान, सह शैक्षणिक एवं क्रीड़ा गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों एवं अभिरुचियों का मूल्यांकन संभव हो सके। सतत् व समग्र मूल्यांकन के साथ-साथ अंक आधारित मूल्यांकन के स्थान पर ग्रेड आधारित मूल्यांकन अति आवश्यक है। तब ही शिक्षा तनाव रहित, अंकों की बढ़ती प्रतिस्पर्धी भूख व इससे उत्पन्न हताशा व असंतोष पर अंकुश लगाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों हेतु प्रवेश परीक्षा व रोजगार पाने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग की कोई सर्वमान्य व निष्पक्ष परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था बनाई जाए। इन सभी व्याधियों का निदान तब ही संभव है जब शिक्षा की पठन सामग्री, भौतिक सुविधाओं, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था के साथ-साथ सभी स्तरों पर मूल्यांकन की निष्पक्ष व उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था को विकसित करने में भौतिक व वित्तीय संसाधनों की कोई कमी सरकार द्वारा न रखी जाए। ❑

प्रस्ताव क्र. : 2

स्वदेशी बनाम चीनी

देशभक्ति के अमूर्त भाव का एक मूर्त स्वरूप 'स्वदेशी' है। 1931 में गाँधी-इरविन शीर्ष-वार्ता में अपराह्न के समय जब इरविन के लिए चाय और गाँधी जी के लिए नींबू पानी आता है, तो गाँधी जी एक पुड़िया निकालकर गिलास में डालते हैं। वायसराय इरविन के उत्सुकतापूर्वक पूछने पर बापू बताते हैं कि आपके नमक-कानून का उल्लंघन करके मैंने जो नमक बनाया था, यह वही नमक है। गाँधी जी का यह एक उदाहरण स्वदेशी के मर्म को सरलता से समझने के लिए पर्याप्त है। गत दो दीपावली-महोत्सवों के मध्य संपूर्ण भारत ने एक स्वत: स्फूर्त स्वदेशी आंदोलन देखा है। सब तरफ चीनी उत्पाद के बहिष्कार की एक प्रबल लहर न केवल देखी, अनुभव की गई अपितु इसका प्रत्यक्ष व्यापक प्रभाव भी दिखा। यह आन्दोलन केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का ही नहीं है, अपितु यह इसका भी प्रमाण है कि 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्' इस वैदिक उपदेश के अनुरूप समस्त भारतीयों का सोच व मन एक है!

चीन की विकास-दृष्टि मात्र अधिकतम धनोपार्जन पर आधारित है, उसमें पर्यावरण, संस्कार, जीवन-मूल्य, सद्‌भावना एवं सह अस्तित्व कहीं भी मायने नहीं रखते। चीन का विकास मॉडल अधिकतम प्राकृतिक दोहन वाला व विस्तारवादी नीति के कारण अन्य देशों की सम्प्रभुता का शुद्ध रूप से अतिक्रमण करने वाला है, यही कारण है कि यदि हम चीनी उत्पादों को खरीदते चले गये तो हम कभी भी विश्व को विकल्प नहीं दे सकेंगे। हम चीनी खिलौने, पेन, बल्ब, सोलर पैनल, मोबाईल, पावर प्लांट से लेकर रेलों के उपकरण तक चीन से खरीदेंगे तो देश के इन क्षेत्रों के उद्योग बंद होंगे और हम एक उद्योग रहित व प्रौद्योगिकी-विहीन देश बनने की ओर अग्रसर होंगे। इसके साथ ही चीनी उत्पाद का सर्वाधिक बुरा प्रभाव हमारे रोजगार-क्षेत्र पर हुआ है। कभी भारत का खिलौना-उद्योग एक बड़ा उद्योग था, किन्तु चीनी खिलौना आयात ने इस उद्योग को चौपट किया, इसमें लगे लाखों कारीगर बेकार हो गए और स्थिति यह है कि बाजार में स्वदेशी खिलौने खोजने पर भी कठिनाई से ही मिलते हैं। अलीगढ़ का ताला उद्योग हो या पानीपत का दरी-कंबल उद्योग, अम्बाला की मिक्सी हो या जालंधर की खेल-वस्तु-इण्डस्ट्री, शिवाकाशी की पटाखा-इण्डस्ट्री हो या सूरत की साड़ी, गुजरात का टाईल-उद्योग हो या कानपुर का चमड़ा-उद्योग, फिरोजाबाद का काँच उद्योग हो या लुधियाना की साईकिल-इण्डस्ट्री। इन सब पर सस्ते चीनी उत्पाद की भयंकर मार पड़ने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं।

इसके अतिरिक्त सीमा-क्षेत्र पर समय-समय पर खड़ी की गई डोकलाम जैसी परेशानियों की बात हो, पड़ौसी पाकिस्तान व नेपाल पर अपना दबदबा बढ़ाकर भारत को घेरने की असफल कोशिश का बिन्दु हो, अजहर मसूद जैसे मसलों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो के प्रयोग का मुद्दा हो, एनएसजी में भारत की सदस्यता के मार्ग में बार-बार बाधा उपस्थित करने का विषय हो या पाक अधिकृत कश्मीर में से होते हुए आर्थिक गलियारे के निर्माण का प्रश्न हो- भारत को परेशान करने का कोई भी अवसर चीन नहीं छोड़ता है।

अत: शिक्षा के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के व्यापक हित से सम्बद्ध हर मुद्दे पर अपनी जागरूकता का परिचय देने वाला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपने लक्षाधिक शिक्षकों, शिक्षाविदों व कार्यकर्ताओं का आह्वान करता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, व्यापार-सन्तुलन करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक दीर्घकालिक और निरंतर चलने वाला अभियान चलाना होगा। चीनी वस्तुएँ चाहे सस्ती हों या महँगी, उत्कृष्ट हों या निकृष्ट, उपयोगी हों या अनुपयोगी, महत्त्वपूर्ण हों या गौण- हमें चीनी माल का मोह त्यागना ही होगा। चालाक चीन के प्राण, व्यापार नामक तोते में बसते हैं और यह निश्चित है कि इस मायावी तोते की गर्दन दबाने भर से चीन हाँफने लग जाएगा। भारत के उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए और स्वावलम्बन के लिए तथा कुल मिलाकर दुनिया का एक सर्वसमर्थ देश बनाने के लिए स्वदेशी के प्रसार तथा चीनी उत्पाद के बहिष्कार के इस महत्त्वाधायी आन्दोलन को पूरी एकजुटता, समधिक ऊर्जा व प्रतिबद्धता के साथ चलाना होगा। इस राष्ट्रीय अभियान में सभी से तन-मन पूर्वक जुटने की अपेक्षा है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केन्द्र व राज्य सरकारों से माँग करती है कि स्वदेशी के प्रोत्साहन, सम्वर्द्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये। ❑

प्रस्ताव क्र. : 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये

शिक्षा एवं शिक्षकों की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो लम्बे समय से शासन की उपेक्षा के कारण अनिर्णीत हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अपेक्षा है कि वर्तमान संवेदनशील सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी।

1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू किया जाये।
2. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पुनः बहाल की जाये।
3. सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाये।
4. शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था हो।
5. देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ सुनिश्चित किया जाये।
7. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित न करके सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक रखा जाये।
8. ओरियन्टेशन तथा रिफ्रेशर कोर्सेज की छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2017 तक बढाई जाये।
9. कार्यरत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाये।
10. अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।
11. सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।
12. प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवाकाल को गणना में सम्मिलित किया जाये।
13. शैक्षिक स्टाफ की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।
14. शिक्षा सेवा संवर्ग (Cadre) पृथक से बनाया जाये।
15. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही कराए जायें।
16. सम्पूर्ण देश के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश आयु तीन वर्ष की जाये।
17. राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुनःसंरचना की जाये।
18. शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।
19. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।
20. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
21. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जायें।
22. प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।
23. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान करें। ❑

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
अखिल भारतीय पदाधिकारी एवं क्षेत्र प्रमुख

राष्ट्रीय साधारण सभा, अमरावती (महाराष्ट्र) में निर्वाचित, 29 अक्टूबर, 2017

अध्यक्ष - श्री जगदीश प्रसाद सिंघल (राजस्थान)
महामंत्री - श्री शिवानन्द सिंदनकेरा (कर्नाटक)
अतिरिक्त महामंत्री - डॉ. निर्मला यादव (उत्तर प्रदेश)
संगठन मंत्री - श्री महेन्द्र कपूर (दिल्ली केन्द्र)
सह संगठन मंत्री - श्री ओमपाल सिंह (लखनऊ केन्द्र)
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी - श्री महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
महिला संवर्ग प्रभारी - श्रीमती प्रियम्वदा सक्सेना (महाराष्ट्र)

उपाध्यक्ष

1. महिला संवर्ग - डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
2. प्राथमिक संवर्ग - श्री हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
3. माध्यमिक संवर्ग - श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
4. उच्च शिक्षा संवर्ग - प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)

सचिव

1. महिला संवर्ग - डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)
2. प्राथमिक संवर्ग - श्री पीएस गोपकुमार(केरल)
3. माध्यमिक संवर्ग - श्री मोहन पुरोहित (राजस्थान)
4. उच्च शिक्षा संवर्ग - डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)

संयुक्त सचिव

1. महिला संवर्ग - श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
2. माध्यमिक संवर्ग - श्री पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
3. प्राथमिक संवर्ग - श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
4. उच्च शिक्षा संवर्ग - डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)

कोषाध्यक्ष - श्री संजय राऊत (मध्यप्रदेश)
आंतरिक अंकेक्षक - डॉ. पवित्र रथ (ओडिशा)

आमंत्रित सदस्य

1. प्रो. के. नरहरि (कर्नाटक)
2. डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राजस्थान)
3. श्री जयभगवान गोयल (दिल्ली)
4. श्री एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
5. प्रा. प्रभु देशपाण्डे (महाराष्ट्र)
6. डॉ. नारायण मोहंती (ओडिशा)

प्रकोष्ठ एवं आयाम प्रमुख

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख - डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख - प्रो. शैलेष कुमार मिश्र (उत्तरप्रदेश)
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख - श्री विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख - श्री विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
समर्थ भारत आयाम प्रमुख - श्री रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
समर्थ भारत आयाम सहप्रमुख - श्री गोविन्द तिवारी (उ.प्र.)

क्षेत्र प्रमुख

उत्तर क्षेत्र - श्री जगदीश कौशिक (दिल्ली)
(जम्मू कश्मीर, हि.प्र., पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली)
पश्चिम क्षेत्र - श्री बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
(राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा)
दक्षिण व दक्षिण मध्य क्षेत्र - श्री के.बालकृष्ण भट्ट (कर्नाटक)
(केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश)
मध्य पूर्व क्षेत्र - डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(बिहार, झारखण्ड)
मध्य क्षेत्र - श्री किशन लाल नाकडा (मध्यप्रदेश)
(मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़)
उत्तर मध्य क्षेत्र - श्री जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
(उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड)

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ
प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सम्बद्ध अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 01-02 अक्टूबर, 2017 को मार्कंड जिला बिलासपुर में सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारम्भ माँ सरस्वती की वन्दना से किया हुआ। प्रथम सत्र में सभी पदाधिकारियों के परिचय के बाद द्वितीय सत्र में जिलाश: वृत्त प्रस्तुत किए गए।

तृतीय सत्र की शुरुआत करते हुए प्रान्त संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय आंतरिक अंकेक्षक पवन मिश्रा ने कहा कि सदस्यता अभियान शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने विशेष तौर पर कहा, 'हमारा संगठन राष्ट्र हित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और समाज हित में जो भी कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी प्रत्येक शिक्षक तक जाना जरुरी है।

चतुर्थ सत्र में मार्कंड मन्दिर के पुजारी राजेश शर्मा ने तीर्थ स्थान के महत्त्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक समस्याओं पर बोलते हुए रणवीर सिंह ने सुझाव दिया कि शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को विद्यालय में लागू करना निजता के अधिकार का हनन है। आकस्मिक अवकाश को एक दिन पूर्व स्वीकृत करवाने की अधिसूचना पर सभी सदस्यों ने असहमति जताई। कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण की स्थाई नीति बनाई जाए।

समापन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय महेन्द्र कपूर ने कहा कि अपना संगठन पारिवारिक संगठन है। इसकी रीति नीति है कि दायित्त्व की अनुपालना निचली इकाई तक हो। महामन्त्री/जिला मंत्री अपने संगठन की धुरी है। सारा संगठन उसके इर्द-गिर्द घूमता है। अत: सजगता के साथ कार्य करे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि 'शिक्षक कभी सामान्य नहीं हो सकता है। वह विशेष व्यक्तितत्व का धनी है। उसे विद्या मन्दिर का पुजारी बन कर विद्यालय को देवालय बनाने का अपना दायित्त्व समझना होगा। हम प्रश्न करने वालों में से नहीं हैं। हमारे पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय में भी शिक्षक की सक्रियता पर विशेष बल दिया। कपूर जी ने कहा, 'जहाँ विद्यालय में अपना शिक्षक कार्यकर्ता है, क्या वहाँ नि:शुल्क अतिरिक्त कक्षाएँ लग रही हैं? क्या गरीब एवं पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? हम केवल वेतन भोगी शिक्षक न बने, हमें इस बात का हमेशा बोध रहे, कि हमने राजकीय सेवा का व्रत ले रखा है। राष्ट्र हित को सर्वोपरी मान कर हमें निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। संगठन में नए-नए कार्यकर्ता जुड़ते जाएँ, यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। परन्तु पुराने कार्यकर्ता भी हमसे छूट न जाएँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। अन्त में अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रान्त अध्यक्ष रजनीश चौधरी ने कहा कि हम संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अधिक समय दें। सम्पर्क अधिकारी सुरेश कपिल की उपस्थिति में शांति मन्त्र के साथ बैठक का समापन किया गया। इस बैठक में प्रान्त से 45 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

लखनऊ में 'शिक्षा : समग्र एवं व्यापक' विषयक संगोष्ठी

शिक्षा संस्कृति की संवाहक है। इसका केंद्र बिंदु शिक्षक बने। इसके लिए शिक्षक को ही सतत् प्रयास करना होगा। गुरु-शिष्य की परंपरा शिक्षा के बाजारीकरण के कारण तार तार हो चुकी है। शिक्षक मूल्यपरक शिक्षा के रोलमॉडल बनें। समग्र शिक्षा का गम्भीर चिन्तन-मनन कर पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, जिससे सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। देश में सम्यक सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षा में बदलाव जरुरी है ।

ये विचार 9 अक्टूबर, 2017 को बोरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ में 'शिक्षा समग्र व व्यापक' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मेलन एवं संगोष्ठी में मुख्यवक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपाण्डे ने व्यक्त किये।

उन्होंने शिक्षा के उन्नयन के लिए पाँच सूत्रों पर चर्चा की। सरकारी स्कूलों के लिए निजी स्कूल चुनौती हैं और निजी स्कूलों में बाजारीकरण बढ़ रहा है। चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा कॅरियर का मुद्दा हो गई है, वह ज्ञान व्यापी की जगह अर्थ व्यापी हो चुकी है, जबकि शिक्षा का मौलिक उद्देश्य मनुष्य की क्षमताओं का वर्धन करना है।

मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय आशुतोष टंडन 'गोपाल जी', ने कहा कि तकनीक आसान और सस्ती हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। नई तकनीक को समाज के अनुकूल बनाने एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, सरकार इस पर काम कर रही है।

विशिष्ट अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि वर्तमान शिक्षा सर्वांगीण विकास का कार्य नहीं कर पा रही है, आप सभी इस शिक्षा समग्र विमर्श से जो निष्कर्ष आये उसे हमें दीजिये जिसे लागू कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की मार्ग पर सरकार बढ़ेगी।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ने शिक्षक पदाधिकारियों से आह्वान किया कि अधिकतम प्रयास एवं अधिकतम प्रवास से शिक्षक शिक्षार्थी एवं राष्ट्रहित के कार्य संभव हैं। वार्षिक सदस्यता से ही कोई संगठन जीवित रहता है इससे संगठन आर्थिक रूप से, संख्यात्मक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ नये कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है।

महासंघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह ने सम्मेलन की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि परिवार में संस्कारों व मार्गदर्शन का अभाव हो चुका है। बच्चों में असुरक्षा और अवसाद उत्पन्न हो रहे हैं, हम किस तरह की पीढ़ी की संरचना कर रहे हैं। यह आज देश के आगे ज्वलंत प्रश्न है। उन्होंने बताया कि शिक्षा को सर्जनात्मक बनाने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों में खोज, जिज्ञासा पैदा हो।

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी महेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा हेतु चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास का पाठ्यक्रम लागू हो।

अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा के लिए शिक्षक, अभिभावक, छात्र व सरकार चारों घटक मिलकर जब काम करेंगे तभी व्यवस्था में परिवर्तन संभव होगा। महामंत्री ऋषिदेव त्रिपाठी ने आभार तथा उद्घाटन सत्र का सञ्चालन अम्बरीश सिंह ने किया।

संगोष्ठी में चार बौद्धिक सत्र हुए और विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर अलग-अलग समूहों में विचार-मंथन किया। जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्षा डॉ. निर्मला यादव, प्राथमिक संवर्ग अध्यक्ष गोविन्द तिवारी, डॉ. विनोद बनर्जी, सोमेश कुमार शुक्ल, संजय मेधावी सहित प्रदेश भर के चयनित शिक्षक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मेलन के द्वितीय सत्र में भारतीय शिक्षा का स्वरूप, तृतीय सत्र में शैक्षिक प्रबंधन व परिवेश व चौथे सत्र में शिक्षक के निर्वाह की चिंता विषयों पर भी चर्चा की गई।

देशीय अध्यापक परिषद्, केरल का प्रदेश महिला सम्मेलन पालकाड में सम्पन्न

शिक्षा में मूल्यों का शोषण बच्चों को गलतियों की ओर ले जाता है ऐसा पालकाड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में कहा गया।

सच्चाई, फर्ज, दया, त्याग जैसे जीवन मूल्य शिक्षा प्रणाली से निकाल दिए गए हैं इस कारण आज की नई पीढ़ी मूल्यविहीन होकर नशे की गुलाम हो रही है एवं देश के खिलाफ कार्य करने के लिए तैयार भी होती जा रही है। प्यार की जो पवित्रता है, उसको बिना जाने बच्चे लव जिहाद का शिकार होते जा रहे हैं। जीवन मूल्यों को शिक्षा प्रणाली का भाग बनाकर छात्रों को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश और कार्य शिक्षक व समाज को करना है।

पालकाड के तारेकाड स्थित फाइन आर्टस सोसाइटी हॉल में सम्पन्न महिला सम्मेलन के शुभारंभ में केरल के मशहूर कवि स्वर्गीय वयलार राम वर्मा की पत्नी भारती तंपुरारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। पालकाड नगर निगम की अध्यक्षा प्रमिला शशिधरण ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्षा सत्यभामा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। परिषद् की सदस्य के. स्मिता ने स्वागत भाषण एवं सम्मेलन संयोजिका एम. गीता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

संगोष्ठी के अगले सत्र में शिक्षा सभा में हिन्दू ऐक्यवेदी की राज्याध्यक्षा शशिकला ने मूल्याधिष्ठित शिक्षा पर विस्तृत प्रकाश डाला। परिषद् की राज्य उपाध्यक्षा जीजाबाई ने सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ऐशियन गेम्स के स्वर्ण-पदक विजेता प्रीजा श्रीधरण का सम्मान भी किया गया।

स्वागत भाषण संघ की उपाध्यक्षा वी.एस. कृष्ण कुमारी ने दिया एवं एम. रमादेवी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

समापन सत्र में परिषद् के राज्याध्यक्ष के.एस. विनोद ने अध्यक्षता की एवं सचिव पी.एस. गोपकुमार ने परिचय दिया। अ.भा.रा.शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संगठन मंत्री एम. मोहन कन्नन ने सम्मेलन में अपने विचार रखे। परिषद् के कार्यकर्ता अशोक बादुर, एम. शिवदास, पी. चन्द्रलासा, आर. जिगी, के.एस. जयचंद्रन, के.के. गिरिश कुमार, के.के. राजेश, पी. सुरेश कुमार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ए.वी.रमा ने स्वागत भाषण एवं एम. रमा देवी ने समापन समारोह में धन्यवाद ज्ञापित किया।

'चीन की चुनौती एवं स्वदेशी' विषय पर कार्यक्रम सम्पन्न

रुक्टा (राष्ट्रीय) राजस्थान की विभिन्न इकाइयों द्वारा 'चीन की चुनौती एवं स्वदेशी' विषय पर संगोष्ठियाँ/ जनजागरण कार्यक्रम सम्पन्न किए गए। राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रा.स्व.संघ के सहप्रांत सेवा प्रमुख रामकिशन ने योग को सामरिक एवं आर्थिक महत्त्वाकाँक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी की महत्ता बताई। संगोष्ठी में विभाग प्रचारक मुकेश जी सहित संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता, शिक्षक बंधु-बहिनें व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। कोटा में आयोजित संगोष्ठी के मुख्यवक्ता स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के राष्ट्रीय व स्वदेशी जागरण के उत्तर, राजस्थान पश्चिमी उत्तर क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र के संगठक श्री सतीश ने कहा कि चीन हमारे साथ व्यापार के बहाने छद्‌मयुद्ध करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। ऐसे में सभी को राष्ट्रधर्म का पालन करते हुए स्वदेशी भाव को जीवन में उतारने का संकल्प लेना होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष डॉ. विजय पंचोली ने की।

राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी में स्वदेशी का महत्त्व विषय पर व्याख्यान देते हुए विभाग सचिव प्रो. अनिल गुप्ता ने पाक-चीन गठबंधन के आर्थिक पोषण को रोकने का आह्वान किया। इकाई सचिव प्रो. पवन चंचल ने आभार व्यक्त किया। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सहप्रांत प्रचारक योगेन्द्र कुमार रहे। उन्होंने चीन की आर्थिक साम्राज्यवादी नीतियों का विश्लेषण करते हुए कम्यूनिस्ट शासन की मानवाधिकार एवं पर्यावरण विरोधी कार्यपद्धति के बारे में बताया। उन्होंने देश की समृद्धि, विकास एवं रोजगार हेतु स्वदेशी अपनाने हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक स्वरूपदान, महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. रामकेश मीणा, विभाग सचिव, डॉ. अनुपम चतुर्वेदी सहित अनेक शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरिओम गौतम, संभागीय संस्कृत अधिकारी रहे। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर में डॉ. धीरज पारीक ने मुख्य वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में 350 छात्राएँ एवं शिक्षक उपस्थित रहे। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में रा.स्व. संघ के जिला संघचालक डॉ. क्षमाशील गुप्त ने चीन की आर्थिक चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया।

राजकीय महाविद्यालय, सरवाड़ में आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता विभाग सचिव अनिल गुप्ता रहे। उन्होंने गाँधी जी के स्वदेशी विचारों पर प्रकाश डालते हुए 'मेड बाई इंडिया' खरीदने का आह्वान किया। संगोष्ठी में प्राचार्य डॉ. माधुरी गुप्ता, डॉ. संजीव वर्मा, डॉ. नविता श्रीवास्तव, डॉ. रश्मि भटनागर सहित अनेक छात्राओं ने भी भाग लिया। राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रा.स्व. संघ के सहविभाग सम्पर्क प्रमुख निरंजन शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. चेतन प्रकाश ने की एवं धन्यवाद इकाई सचिव डॉ. सत्येन्द्र जैन ने ज्ञापित किया। राजकीय महाविद्यालय, बून्दी में चीन एक आर्थिक संकट विषय पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्तव्य कोटा विभाग प्रचारक विकास ने दिया। उन्होंने कुटीर उद्योगों पर शून्य तकनीकी चीनी उत्पादों की बिक्री के दुष्प्रभावों को समझाते हुए स्थानीय उत्पाद खरीदने पर बल दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विषय रखते हुए रा.स्व.संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हनुमान सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद, सुरक्षा परिषद् की सदस्यता आदि मुद्‌दों पर भारत के विरुद्ध चीन के कारनामों का उल्लेख किया। उन्होंने देश की आर्थिक एवं सामरिक सुरक्षा के लिए चीन को एक गंभीर खतरा बताते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. एस.के. देव एवं डॉ. अनिल दाधीच ने भी विचार व्यक्त किए।

रुक्टा (रा.) ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तित करने हेतु उनका आभार प्रदर्शित किया। 100 से अधिक कॉलेज शिक्षकों का एक समूह मुख्यमंत्री से मिला तथा कॉलेज शिक्षकों का पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने हेतु उन्हें चुनरी ओढ़ाकर, धन्यवाद पत्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित महाविद्यालय शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की सरकार उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। राज्य के शिक्षकों के सम्मान हेतु ही उन्होंने रुक्टा (राष्ट्रीय) के अधिवेशन में पदनाम परिवर्तन की घोषणा की थी, उसके बाद से निरंतर व्यक्तिगत रुचि लेकर इस विषय को उन्होंने परिणाम तक पहुँचाया। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता, प्रदेश सहसंगठन मंत्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेंद्र कुमार गोखरू, डॉ. ऋतु सारस्वत, डॉ. अनिल गुप्ता, डॉ. अतुल अग्रवाल, डॉ. मंदरूप देवड़ा, राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगण डॉ. एस. के. देव, डॉ स्नेह भटनागर, डॉ. चेतन प्रकाश, डॉ. जी. एस. भटनागर सहित विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक सम्मिलित रहे।

एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम सम्पन्न

रुक्टा (राष्ट्रीय) की प्रदेश कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक परिसरों में पर्यावरण के प्रति चेतना जाग्रत करने तथा धारणक्षम विकास हेतु अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान हाथ में लिया जाए। इस अभियान के अन्तर्गत प्रति शिक्षक न्यूनतम एक वृक्ष लगाने एवं उसका पालन करने का जिम्मा लिया गया। इस अभियान को शिक्षकों की ओर से उत्साहपूर्ण सहयोग मिला।